अध्याय एक

परिचय : संकल्पनायें, परिभाषायें और क्रियाविधियां

१.० परिचय

१.०.१ वैज्ञानिक प्रतिचयन पद्धति से समाजार्थिक आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सन् १९५० में स्थापित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा.प्र.स.) अपना छियासठवां दौर १ जुलाई, २००९ से आरम्भ कर रहा है । यह सर्वेक्षण ३० जून २०१० तक जारी रहेगा ।

१.१ सर्वेक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

१.१.१ विषय व्याप्ति : रा.प्र.स. का ६६वां दौर (जुलाई २००९ - जून २०१०) को 'पारिवारिक उपभोक्ता व्यय' और 'रोजगार और बेरोजगारी' के सर्वेक्षण के लिए चिह्नित किया गया है । 'पारिवारिक उपभोक्ता व्यय' एवं 'रोजगार और बेरोजगारी' पर होने वाला यह सर्वेक्षण इस श्रृंखला का आठवां पंचवार्षिक सर्वेक्षण होने जा रहा है, पिछला सर्वेक्षण राप्रस के ६१वें दौर (२००४-२००५) में किया गया था ।

१.१.२ भौगोलिक व्याप्ति : यह सर्वेक्षण निम्नलिखित को *छोड़कर* सम्पूर्ण भारतीय संघ में किया जायेगा :

(i) नागालैंड के सुदूरवर्ती ग्राम, जो बस मार्ग से ५ कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित हैं, और

(ii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वे ग्राम जो वर्ष भर अगम्य रहते हैं ।

जम्मू एवं कश्मीर के लेह (लद्दाख) और कारगिल जिलों के लिए केन्द्रीय प्रतिदर्श के लिए अलग से कोई प्रतिदर्श प्रथम चरण इकाई (प्र.च.इ.) नहीं होगी । इन दोनों जिलों के लिए, 'राज्य प्रतिदर्श' के लिए बनायी गई प्रतिदर्श प्रचइयों को ही केन्द्रीय प्रतिदर्श माना जाएगा । राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा भरी हुई अनुसूचियों की एक प्रति रा.प्र.स.सं. के समंक विधायन प्रभाग को विधायन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी ।

१.१.३ सर्वेक्षण की अवधि एवं कार्य योजना : सर्वेक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी, जो १ जुलाई २००९ से आरम्भ होकर ३० जून, २०१० को समाप्त होगी । इस दौर की सर्वेक्षण अवधि को चार उप-दौरों में बांटा जाएगा । प्रत्येक उप-दौर तीन-तीन महीने की अवधि का होगा :-

उप-दौर १	:	जुलाई-सितम्बर २००९
उप-दौर २	:	अक्तूबर-दिसम्बर २००९
उप-दौर ३	:	जनवरी-मार्च २०१०
उप-दौर ४	:	अप्रैल-जून २०१०

चारों उप-दौरों में से प्रत्येक को सर्वेक्षण हेतु प्रतिदर्श ग्राम/खंडों (प्र.च.इ.) की समान संख्या आबंटित की जाएगी ताकि सम्पूर्ण सर्वेक्षण अवधि में प्रतिदर्श प्रथम चरण इकाइयों (प्र.च.इ.यों) की एक समान संख्या का आबंटन सुनिश्चित किया जा सके । इसका प्रयास किया जाए कि प्रत्येक प्र.च.इ. का सर्वेक्षण उसी उप-दौर में किया जाए, जिसके लिए वह आबंटित है । इस प्रतिबंध को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां की विषम क्षेत्रीय स्थितियों को देखते हुए, सख्ती से लागू करने की आवश्यकता नहीं है ।

१.१.४ पूछताछ की अनुसूचियां : इस दौर में, निम्नलिखित अनुसूचियों पर पूछताछ की जायेगी :

अनुसूची ०.०	:	परिवारों की सूची
अनुसूची १.०	:	उपभोक्ता व्यय
अनुसूची १०	:	रोजगार और बेरोजगारी

यह निर्णय लिया गया है कि इस दौर में अनुसूची १.० के दो प्ररूपों यानी अनुसूची प्ररूप १ और अनुसूची प्ररूप २ पर पूछताछ की जायेगी । अनुसूची प्ररूप १ राप्रस ६१वें दौर की अनुसूची १.० के समान है । खाद्य, पान,

तम्बाकू और नशीले द्रव्य की कुछ मदें जिनके लिए अनुसूची प्ररूप १ में संदर्भ अवधि ३० दिन है, की तुलना में अनुसूची प्ररूप २ में भिन्न संदर्भ अवधि (७ दिनों की) है । विवरण के लिए अध्यान तीन देखें ।

१.१.५ राज्यों का भाग लेना : इस दौर में सभी राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र भाग ले रहे हैं सिवाय अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादर एवं नागर हवेली तथा लक्ष्यद्वीप के । निम्नलिखित तालिका भाग लेने वाले राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों के सुमेलन प्रतिरूप को दर्शाती है :

नागालैंड (नगरीय)	:	तीन गुणा
जम्मू व कश्मीर, मणिपुर एवं दिल्ली	:	दो गुणा
महाराष्ट्र (नगरीय)	:	डेढ़ गुणा
गुजरात	:	समान से कम
शेष राज्य/सं.रा. क्षेत्र	:	समान

१.२ खण्ड I की अंतर्वस्तु

१.२.० इस खंड में चार अध्याय हैं । अध्याय एक, संपूर्ण सर्वेक्षण संकार्य पर दृष्टिपात करने के अतिरिक्त, सर्वेक्षण में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दों की संकल्पना और परिभाषाओं पर भी चर्चा करता है । यह इस दौर के लिए अपनाये गये प्रतिदर्श अभिकल्प और परिवारों के चयन की क्रियाविधि की विस्तृत व्याख्या भी करता है । अनुसूची ०.०, अनुसूची १.० और अनुसूची १० को भरने के अनुदेश क्रमशः अध्याय दो से चार में दिये गये हैं ।

१.३ प्रतिदर्श अभिकल्प

१.३.१ प्रतिदर्श अभिकल्प की रूपरेखा : ६६वें दौर के सर्वेक्षण के लिए एक स्तरीकृत बहुचरणीय अभिकल्प अपनाया गया है । प्रथम चरण इकाइयां (प्र.च.इ.) ग्रामीण क्षेत्र के लिए २००१ जनगणना ग्राम (केरल के मामले में पंचायत वार्ड) और नगरीय क्षेत्र में नगरीय ढांचा सवेक्षण (न.ढा.स.) खण्ड होंगे । दोनों क्षेत्रों में अंतिम चरण इकाइयां (USU) परिवार होंगे । बड़ी प्र.च.इ.यों के मामलों में, अर्थात् खेड़ा समूह(खे.स.)/उप खंड(उ.खं.) गठन योग्य ग्रामों/नगरों/खण्डों में प्रत्येक प्र.च.इ. में से दो खे.स./उ.खंडों का चयन एक मध्यवर्ती चरण होगा ।

१.३.२ प्रथम चरण इकाइयों के लिए प्रतिचयन ढांचा : ग्रामीण क्षेत्र के लिए, २००१ जनगणना ग्रामों (यहां से ग्राम का अर्थ केरल के लिए पंचायत वार्ड होगा) की सूची प्रतिचयन ढांचें का गठन करेगी । नगरीय क्षेत्र के लिए, नगरीय ढांचा सर्वेक्षण (न.ढा.स.) खण्डों की नवीनतम उपलब्ध सूची को प्रतिचयन ढांचा माना जाएगा ।

१.३.३ स्तरीकरण : सामान्य तौर पर कहा जाये तो एक राज्य/सं.रा.क्षे. के प्रत्येक जिले के भीतर दो मूल स्तर गठित किये जायेंगे : (i) ग्रामीण स्तर जिसमें जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्र आयेंगे और (ii) नगरीय स्तर जिसमें जिले के सभी नगरीय क्षेत्र आयेंगे । तथापि एक जिले के नगरीय क्षेत्रों के भीतर यदि २००१ जनगणना के अनुसार १० लाख या अधिक जनसंख्या वाले एक या अधिक शहर हैं तो उनमें से प्रत्येक एक भिन्न मूल स्तर बनायेगा और जिले के शेष नगरीय क्षेत्रों को एक भिन्न मूल स्तर का माना जायेगा ।

१.३.४ उप-स्तरीकरण : नगरीय क्षेत्र में कोई उप-स्तरीकरण नहीं होगा । तथापि सभी नगरीय स्तरों के लिए बाल श्रमिकों की पर्याप्त संख्या प्राप्त करने हेतु प्रत्येक स्तर को इस प्रकार दो उप-स्तरों में विभाजित किया जायेगा :

उप-स्तर १ : बाल-श्रमिकों का अनुपात $(p) > 2P$ वाले सभी ग्राम (जहां P जनगणना २००१ के अनुसार राज्य/ सं.रा.क्षे. के लिए बाल श्रमिकों का औसत अनुपात है)

उप-स्तर २ : शेष ग्राम ।

१.३.५ कुल प्रतिदर्श आकार (प्र.च.इ.यां) : १२७८४ प्र.च.इ.यां केन्द्रीय प्रतिदर्श के लिए एवं १३७२४ प्र.च.इ.यां राज्य प्रतिदर्श के लिए समस्त भारत स्तर पर आबंटित की गई हैं ।

१.३.६ राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों को कुल प्रतिदर्शों का आबंटन : राज्यों और सं.रा.क्षे. को जनगणना २००१ के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में प्रतिदर्श प्र.च.इ. की कुल संख्या आबंटित की गई है, ताकि प्रत्येक राज्य/सं.रा.क्षे. को एक न्यूनतम प्रतिदर्श आबंटित हो । ऐसा करते समय क्षेत्र अन्वेषकों की संख्या के रूप में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखा गया है ।

१.३.७ ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों को राज्य/सं.रा.क्षे. स्तरीय प्रतिदर्शों का आबंटन : राज्य/सं.रा.क्षे. स्तरीय प्रतिदर्श का आबंटन जनगणना २००१ के अनुसार नगरीय क्षेत्र पर दोगुना भार देते हुए दो क्षेत्रों के बीच इस प्रतिबंध के अधीन किया गया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि जैसे बड़े राज्यों के लिए नगरीय प्रतिदर्श आकार ग्रामीण प्रतिदर्श आकार से बड़ा न हो । ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रत्येक राज्य/संराक्षे को अलग-अलग न्यूनतम १६ प्रचइयां (यथासंभव) आबंटित की गई हैं । पुनः ग्रामीण और नगरीय दोनों के लिए राज्य स्तरीय आबंटन कुछ मामलों में सीमान्त रूप से व्यवस्थित किये गये हैं ताकि प्रत्येक स्तर को न्यूनतम ४ प्रचइयों का आबंटन प्राप्त हो सके ।

१.३.८ स्तरों/उप-स्तरों का आबंटन : एक राज्य/सं.रा.क्षे. के प्रत्येक क्षेत्र के भीतर विभिन्न स्तरों को, जनगणना २००१ के अनुसार स्तर जनसंख्या के अनुपात में, संबंधित प्रतिदर्श आकार आबंटित किये जायेंगे । स्तर/उप-स्तर तल पर आबंटन को ४ के एक न्यूनतम प्रतिदर्श आकार सहित ४ के एक गुणज पर समायोजित किया जायेगा ।

१.३.९ प्र.च.इ.यों का चयन : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, प्रत्येक स्तर/उप-स्तर से, प्रतिदर्श ग्रामों की आवश्यक संख्या का चयन प्रतिस्थापन सहित आकार की आनुपातिक प्रायिकता (PPSWR) द्वारा किया जायेगा, जहां आकार जनगणना २००१ के अनुसार ग्राम की जनसंख्या है । नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रत्येक स्तर से प्रचइयों का चयन प्रतिस्थापन बगैर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (SRSWOR) द्वारा किया जायेगा । चार उप-दौरों में ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रतिदर्शों को दो स्वतंत्र उप-प्रतिदर्श के रूप में और प्रतिदर्शों की समान संख्या में निकाला जायेगा ।

१.३.१० खेड़ा-समूहों/उप-खण्डों का चयन - महत्वपूर्ण कदम

१.३.१०.१ प्रचइ की सीमाओं की सही पहचान : क्षेत्र अन्वेषकों का पहला महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिदर्श सूची में दिये गये विवरणों के अनुसार प्रतिदर्श प्र.च.इ. की सही सीमाओं को सुनिश्चित करना । नगरीय प्रतिदर्शों के लिए, प्रत्येक प्रचइ की सीमाओं की पहचान प्रतिदर्श सूची में विनिर्दिष्ट ढ़ांचा संकेत के अनुरूपी मानचित्र के आधार पर की जायेगी (न ढ़ां स की बाद की एक अवधि के लिए खंड का मानचित्र उपलब्ध होने पर भी ऐसा किया जायेगा) ।

१.३.१०.२ खेड़ा-समूह/उप-खंड गठन का मापदंड : प्रचइ की सीमाओं की पहचान के बाद, यह देखा जाना है कि क्या सूचीकरण पूरे प्रतिदर्श प्रचइ में किया जायेगा या नहीं । यदि चयित प्र.च.इ. की जनसंख्या १२०० या अधिक पायी जाती है, तो उसे ग्रामीण क्षेत्र में 'खेड़ा-समूहों' और नगरीय क्षेत्र में 'उप खंडों' की उपयुक्त संख्या (जैसे D) से भाग दिया जायेगा, जैसा कि नीचे दिखाया गया है । :-

प्रतिदर्श प्र.च.इ. की लगभग वर्तमान जनसंख्या	**गठित किये जाने वाले खेड़ा-समूह/ उप-खंडों की संख्या**
१२०० से कम (कोई खे.स./उ.ख. नहीं)	१
१२०० से १७९९	३
१८०० से २३९९	४
२४०० से २९९९	५
३००० से ३५९९	६
..... इसी प्रकार आगे	

हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड (चार जिले देहरादूत (P), नैनीताल (P), हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर) और जम्मू-कश्मीर के पूंछ, राजौरी, उधमपुर, डोडा जिलों और केरल के इडुक्की जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित किये जाने वाले खेड़ा-समूहों की संख्या इस प्रकार होगी :

प्रतिदर्श ग्राम की लगभग वर्तमान जनसंख्या	गठित किये जाने वाले खे.स. की सं.
६०० से कम (खेड़ा समूह नहीं)	१
६०० से ८९९	३
९०० से ११९९	४
१२०० से १४९९	५
.... और इसी प्रकार आगे	

१.३.१०.३ खेड़ा-समूह/उप-खंडों का गठन और चयन : यदि प्रतिदर्श प्रचइ में खेड़ा-समूहों/उप-खंडों का गठन किया जाना है, तो ऐसा न्यूनाधिक बराबर जनसंख्या द्वारा किया जाना चाहिए (विवरण अध्याय दो में दिये गये हैं) । ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि गठित किये जाने वाले खेड़ा-समूह/उप-खंड भौतिक सीमा चिह्नों द्वारा स्पष्टतः पहचानने योग्य होने चाहिए ।

एक बड़ी प्र.च.इ. जहां खेड़ा समूह/उप-खंड गठित किये गये हैं, में से दो खेड़ा-समूहों (खे.स.)/उप खण्डों(उ.ख.) का चयन इस प्रकार किया जायेगा - जनसंख्या के अधिकतम प्रतिशत हिस्से वाले एक खे.स./उ.ख. का चयन हमेशा होगा और उसे खे.स./उ.ख. १ माना जाएगा; एक और खे.स./उ.ख. का चयन शेष बचे खे.स./उ.खण्डों से सरल यादृच्छिक प्रतिचयन से किया जायेगा एवं उसे खे.स./उ.ख. २ माना जाएगा । दो चयित खेड़ा समूह/उप खंडों में सूचीकरण एवं चयन स्वतन्त्र रूप से किया जायेगा । बगैर खे.स./उ.ख. गठन वाली प्र.च.इ.याँ प्रतिदर्श खे.स./उ.ख. संख्या १ मानी जाएगी । यह नोट किया जाए कि यदि एक से अधिक खे.स./उ.ख. की जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत हिस्सा समान हो तो उनमें से एक जिसका सूचीकरण खण्ड ४.२ की अनु. ०.० में पहले हुआ है उसे खे.स./उ.ख. १ माना जाएगा ।

१.४ परिवारों का सूचीकरण : खे.स./उप ख्ण्डों अर्थात् सूचीकरण के लिए विचारयोग्य क्षेत्रों के निर्धारण के पश्चात् अगला चरण है सभी परिवारों का सूचीकरण करना (इनमें अस्थायी रूप से तालाबंद पाये जाने वाले भी शामिल होंगे, इनकी अस्थायीत्वता को स्थानीय पूछताछ से सुनिश्चित किया जायेगा) । प्रतिदर्श खे.स./उ.ख. संख्या१ वाले खे.स./उ.ख. को पहले सूचीबद्ध किया जायेगा और खे.स./उ.ख. संख्या २ वाले को उसके बाद ।

१.५ द्वितीय चरण स्तरों का गठन और परिवारों का आबंटन

१.५.१ रा.प्र.स. ६१वें दौर के आंकड़ों के आधार पर नगरीय क्षेत्रों के लिए **प्रत्येक रा.प्र.स. क्षेत्र हेतु** दो काट-बिन्दु 'A' और 'B' (रु. में) इस प्रकार निर्धारित किये गये हैं कि जनसंख्या का ऊपरी जो १०% 'B' से अधिक मा.प्र.उ.व्य.(MPCE) वाला हो और जनसंख्या का निचला ३०% जो 'A' से कम मा.प्र.उ.व्य. वाला हो । प्रत्येक रा.प्र.स. क्षेत्र के लिए A और B के मान अध्याय दो की सारणी २ में दिये गये हैं ।

१.५.२ चयित प्रचइ/खेड़ा समूह/उप खंड में सूचीबद्ध सभी परिवार अनुसूची १.० और अनुसूची १० दोनों के लिए तीन प्र.च.स्तरों में स्तरीकृत किये जायेंगे । द्वि.च.स्त. की बनावट और तीन अन्वेषण अनुसूचियों नामतः अनुसूची १.० (प्ररूप १), अनुसूची १.० (प्ररूप २), और अनुसूची १० के लिए विभिन्न द्वि.च.स्तरों से सर्वेक्षित किये जाने वाले परिवारों की संख्या इस प्रकार होगी :

द्वि.च.स्त.	द्वि.च.स्तरों की बनावट	परिवारों की संख्या जो सर्वेक्षित होंगे	
		बगैर खे.स./उ.ख. गठन वाली प्र.च.इ.	खे.स./उ.ख. गठन वाली प्र.च.इ. (प्रत्येक खे.स./उ.ख. के लिए)
ग्रामीण			
द्वि.च.स्त. १ :	अपेक्षाकृत सम्पन्न परिवार	२	१
द्वि.च.स्त. २ :	शेष में से, गैर कृषि कार्यकलापों द्वारा प्रमुख अर्जन करने वाले परिवार	४	२
द्वि.च.स्त. ३ :	अन्य परिवार	२	१

नगरीय			
द्वि.च.स्त. १ :	नगरीय जनसंख्या के ऊपरी १०% मा.प्र.उ. व्य. वाले परिवार (मा.प्र.उ.व्य. > B)	२	१
द्वि.च.स्त. २ :	नगरीय जनसंख्या के मध्यवर्त्ती ६०% मा.प्र. उ.व्य. वाले परिवार (A≤मा.प्र.उ.व्य.≤ B)	४	२
द्वि.च.स्त. ३ :	नगरीय जनसंख्या के निचले ३०% मा.प्र.उ. व्य. वाले परिवार	२	१

१.७ परिवारों का चयन : प्रत्येक अनुसूची के लिए प्रत्येक द्वि.च.स्त. से प्रतिदर्श परिवारों का चयन प्रतिस्थापन बगैर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (SRSWOR) द्वारा किया जायेगा । यदि एक परिवार का चयन एक से अधिक अनुसूचियों के लिए हुआ है, तो उस परिवार से प्राथमिकता क्रम में अनुसूची १.० (प्ररूप १), अनुसूची १.० (प्ररूप २), और अनुसूची १० में से केवल एक अनुसूची पर पूछताछ की जायेगी और उस स्थिति में दूसरी अनुसूची के लिए परिवार को प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा । यदि एक परिवार का चयन अनुसूची १.० (प्ररूप १) के लिए हुआ है तो इसका चयन अनुसूची १.० (प्ररूप २), और अनुसूची १० के लिए नहीं किया जायेगा । इसी प्रकार यदि एक परिवार का चयन अनुसूची १.० (प्ररूप १) के लिए नहीं किया गया पर अनुसूची १.० (प्ररूप २) के लिए चयन किया गया है तो इसका चयन अनुसूची १० के लिए नहीं किया जायेगा ।

१.८ परिवारों की कमी की पूर्ति : किसी भी अनुसूची के लिए, किसी भी द्वितीय चरण स्तर (द्वि.च.स्त.) के ढांचे में परिवारों की आवश्यक संख्या में कमी की प्रतिपूर्ति अन्य द्वि.च.स्त. से की जायेगी । ऐसी प्रतिपूर्ति करते समय, सामान्य सिद्धांत यही होगा कि द्विचस्त १ को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये और तब द्विचस्त २ को । पुनः स्पष्ट करने के लिए, किसी खाश द्विचस्त के ढांचे में परिवारों की कमी की प्रतिपूर्ति अन्य खे.स./उ.ख. के उसी द्वि.च.स्त. से अथवा अन्य खे.स./उ.ख. जहां अतिरिक्त परिवार उपलब्ध हैं, के अन्य द्वि.च.स्त. से की जायेगी । इसकी क्रियाविधि निम्नलिखित है :-

कदम १ : प्रत्येक द्वि.च.स्त. को यथासंभव परिवारों की आवश्यक संख्या आबंटित करें और कमी वाले द्वि.च.स्त. की पहचान करें ।

कदम २ : खे.स./उ.खं. गठन के मामले में, अन्य खे.स./उ.खं. के उसी द्वि.च.स्त. से पूर्ति करें, यदि यह कमी वाले सभी द्वि.च.स्त. के लिए उपलब्ध हो । यदि फिर भी कमी रह जाती है तो कमी वाले द्विचस्त की पहचान करें और कदम ३ पर जायें ।

कदम ३ : द्वि.च.स्त. १, द्वि.च.स्त. २ और द्वि.च.स्त. ३ के प्राथमिकता क्रम को अपनाते हुए उस द्वि.च.स्त. की पहचान करें, जहाँ अतिरिक्त परिवार उपलब्ध हैं और कमी की पूर्ति करें ।

नीचे दी गई तालिका उस द्वि.च.स्त. का पता लगाने में उपयोगी होगी, जिससे क्षतिपूर्ति की जानी है ।

कमी वाले द्वि.च.स्त.	क्षतिपूर्ति के लिए द्वि.च.स्त. का प्राथमिकता-क्रम
१	२, ३,
२	१, ३,
३	१, २,

उदाहरणस्वरुप, यदि खे.स./उ.खं. गठन हुआ है, तो प्रत्येक द्वि.च.स्त. से प्राथमिकता क्रम में क्षतिपूर्ति उस खे.स./उ.खं. से की जायेगी जहां कमी पैदा हुई है, ऐसा न हो पाने की स्थिति में अन्य खे.स./उ.खं. से और इसी प्रकार आगे क्षतिपूर्ति की जायेगी ।

उदाहरण के लिए, यदि खे.स./उ.खं. २ के द्वि.च.स्त. २ में कमी है तो उठाये जाने वाले कदम २ और कदम ३ नीचे दिए गए हैं ।

कदम २ : खे.स./उ.खं. से २ के द्विचस्त २ की क्षतिपूर्ति खे.स./उ.खं. १ के द्विचस्त २ से करने का प्रयत्न करें ।

यदि फिर भी खे.स./उ.खं. २ के द्विचस्त २ में कमी रह जाती है, तो

कदम ३ : खे.स./उ.खं. २ के द्विचस्त १ से क्षतिपूर्ति करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो पाने पर खे.स./उ.खं. १ के द्वि.च.स्त. १ से प्रयत्न करें । यदि कमी फिर भी रह जाये तो खे.स./उ.खं. २ के द्वि.च.स्त. ३ से प्रयत्न करें, ऐसा न होने पर खे.स./उ.खं. १ के द्वि.च.स्त. ३ से प्रयत्न करें ।

प्रत्येक द्वि.च.स्त. के लिए परिवारों की परिणामी संख्या (h) खंड ४ के संबंधित कालम के सबसे ऊपर और खंड ६ की संबंधित द्वि.च.स्त. × खे.स./उ.खं. संख्या के सामने कालम ६ में भी दर्ज की जायेगी ।

(क) बगैर खे.स./उ.खं. गठन वाली प्रचइ :

उदाहरण १

द्वि.च.स्त.	H	चरण १	चरण ३	h
१	३	२	१	३
२	२	२*		२
३	६४	२	१	३
कुल	६९	६	२	८
कमी	-	२	०	×

(ख) खे.स./उ.खं. गठन वाली प्रचइ

उदाहरण २

खे.स./उ.ख	द्वि.च.स्त.	H	चरण १	चरण २	चरण ३	h
१	१	५	१	१	१	३
	२	१	१*			१
	३	१२३	१			१
	कुल	१२९	३	१	१	५
२	१	०	०*			०
	२	२	२			२
	३	११८	१			१
	कुल	१२०	३			३
कुल		२४९	६	१	१	८
कमी		—	२	१	०	—

* *कमी वाले द्वि.च.स्त. को दिखाता है ।*

१.९ संकल्पनायें एवं परिभाषायें

१.९.० इस सर्वेक्षण की विभिन्न अनुसूचियों में उपयोग की गई महत्वपूर्ण संकल्पनायें एवं परिभाषायें नीचे दी गई है ।

१.९.१ जनसंख्या व्याप्ति : परिवारों एवं व्यक्तियों को सूचीबद्ध करते समय सर्वेक्षण दायरे में आने वाली जनसंख्या से संबंधित निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखा जाना है ।

१. जेल में विचाराधीन कैदी तथा अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि में भर्ती रोगियों को सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जायेगा परंतु, वहां के आवासीय कर्मचारी ऐसी संस्थाओं के सूचीकरण के समय शामिल किये

जायेंगे । उपरोक्त कैदी, रोगी आदि अपने पैतृक परिवार के सामान्य सदस्य माने जायेंगे और उनकी गिनती उनके परिवार के साथ ही की जायेगी । सजा भुगत रहे सिद्ध अपराधी इस सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रहेंगे ।

२. यायावर जनसंख्या, अर्थात् ऐसे परिवार जिनका कोई सामान्य आवास नहीं है, सूची में शामिल नहीं की जायेगी । परंतु ऐसे व्यक्ति जो खुले स्थान में, सड़क किनारे, पुल आदि के नीचे न्यूनाधिक नियमित रूप से रहते हैं, सूचीबद्ध किये जायेंगे ।

३. विदेशी नागरिक शामिल नहीं किये जायेंगे, न ही उनके घरेलू नौकर शामिल होंगे, यदि वे परिभाषा के अनुसार विदेशी परिवार के सदस्य माने जाते हैं । तथापि, यदि एक विदेशी नागरिक सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए एक भारतीय नागरिक बन गया हो तो उसे शामिल किया जायेगा ।

४. सर्वेक्षण संचालित करने में आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखकर सैनिक और अर्धसैनिक बल (जैसे पुलिस, सीमा सुरक्षा बल आदि) की बैरकों में रहने वाले व्यक्तियों को इस सर्वेक्षण से बाहर रखा गया है । तथापि, उनके आस-पड़ोस और सैन्य-कर्मियों के पारिवारिक क्वार्टरों में रहने वाली असैनिक जनसंख्या सर्वेक्षण क्षेत्र में शामिल होंगी, यद्यपि इसके लिए उपयुक्त प्राधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ सकती है ।

५. अनाथालय, उद्धार-गृह, आश्रम और आवारा घर इस सर्वेक्षण क्षेत्र से बाहर रहेंगे । तथापि, वृद्ध-गृहों में रहने वाले व्यक्तियों, आश्रम/छात्रावासों में रहनेवाले छात्र और आश्रम के आवासीय कर्मचारी (संन्यासी/संन्यासिनी को छोड़कर) को सूचीबद्ध किया जाय । अनाथालयों के लिए, हालांकि अनाथों का सूचीकरण नहीं करना है परन्तु उनकी देखभाल करने तथा वहीं रहने वालों का सूचीकरण किया जाना है ।

१.९.२ मकान : प्रत्येक संरचना, तम्बू, शरणस्थल आदि एक मकान है भले ही उसका उपयोग किसी रुप में होता हो । इसका उपयोग आवासीय या गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए या दोनों के लिए हो सकता है या यह खाली भी हो सकता है ।

१.९.३ परिवार : व्यक्तियों का एक समूह जो सामान्यतः साथ रहते हैं और एक ही रसोई में तैयार किया गया भोजन ग्रहण करते हैं, एक परिवार बनायेगा । इसमें अस्थायी रुप से बाहर गये व्यक्ति शामिल होंगे (अर्थात् वे जिनके परिवार से अनुपस्थित रहने की अवधि ६ महीने से कम की है) परंतु अस्थायी तौर पर आने वाले मुलाकाती और मेहमान (जिनके परिवार में रहने की सम्भावित अवधि ६ महीने से कम है) शामिल नहीं होंगे । यद्यपि एक परिवार की वास्तविक बनावट का निर्धारण परिवार के मुखिया के कथनानुसार ही होगा, तथापि इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रियायें मार्गदर्शन के रुप में अपनायी जायेंगी :-

(i) एक होस्टल, मेस, होटल, भोजनालय और वासगृह आदि का प्रत्येक आवासी (आवासीय कर्मचारियों सहित) एक एकल सदस्यीय परिवार का गठन करेगा । तथापि, यदि कुछ व्यक्तियों का एक समूह अपनी आय को एक साथ खर्च करने के लिए मिला लेते हैं, तो वह समूह इकट्ठे एक एकल परिवार माना जायेगा । उदाहरणार्थ, किसी होटल में रहने वाला एक परिवार अपने आप में एक अलग परिवार माना जायेगा ।

(ii) एक परिवार का गठन सुनिश्चित करते समय ''साधारणतः एक ही रसोई में भोजन करने वालों'' की अपेक्षा ''साधारणतः एक साथ रहने वालों'' पर अधिक जोर दिया जायेगा । यदि किसी व्यक्ति का निवास स्थान उसके भोजन करने के स्थान से अलग हो तो वह उस परिवार का सदस्य माना जायेगा, जिसके साथ वह रहता/रहती है ।

(iii) रिहायशी कर्मचारी, घरेलू नौकर और पेइंग गेस्ट (परन्तु मकान का केवल किराएदार नहीं) को उस परिवार का सदस्य माना जाएगा, जिसके साथ वह रहता/रहती है, यद्यपि वह उस कुटुम्ब का सदस्य नहीं है ।

(iv) यदि कोई व्यक्ति किसी एक स्थान पर सोता है (जैसे जगह की कमी के कारण किसी दुकान या अन्य मकान के किसी कमरे में) पर सामान्यतया अपने परिवार के साथ ही भोजन करता है तो उसे एक सदस्यीय परिवार नहीं माना जाएगा बल्कि उसी परिवार का एक सदस्य माना जायेगा जहां उसके परिवार

के अन्य सदस्य रहते हैं ।

(v) यदि किसी परिवार का एक सदस्य (जैसे, परिवार के प्रधान का पुत्र या पुत्री) किसी अन्य जगह रहता हो (जैसे पढ़ाई या किसी अन्य कारणवश छात्रावास में), तो उसे अपने माता-पिता के परिवार का सदस्य नहीं माना जायेगा । उसे एक सदस्यीय परिवार के रुप में सूचीबद्ध किया जायेगा जब वह छात्रावास सूचीबद्ध होता है ।

१.९.४ परिवार का आकार : एक परिवार के सदस्यों की संख्या उसका आकार है ।

१.९.५ परिवार प्ररूप : जीविका के साधन पर आधारित परिवार प्ररूप का निर्धारण सर्वेक्षण तिथि से पिछले ३६५ दिनों के दौरान परिवार की आय के स्रोतों के आधार पर किया जाता है । इस उद्देश्य के लिए केवल आर्थिक कार्यकलापों से परिवार की आय (शुद्ध आय और सकल आय नहीं) पर विचार किया जाना है; परन्तु नौकरों और सशुल्क अतिथियों की आय की लेखा में नहीं लिया जाना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में, एक परिवार निम्नलिखित पांच परिवार प्ररूपों में से एक हो सकता है :

गैर-कृषि में स्व-नियोजित (SENA), कृषि श्रम (AL), अन्य श्रम (OL), कृषि में स्व-नियोजित (SEA), अन्य (OTH)

नगरीय क्षेत्रों के लिए, परिवार प्ररूप हैं :
स्व-नियोजित (SE), नियमित मजदूरी/वेतन अर्जन (RWS), आकस्मिक श्रम (CL), अन्य (OTH) ।

१.९.५.१ ग्रामीण क्षेत्र में परिवार प्ररूप निर्धारण करने की क्रियाविधि : एक ग्रामीण परिवार के लिए यदि पिछले ३६५ दिनों के दौरान आर्थिक कार्यकलापों से एक सकल स्रोत (ऊपर सूचीबद्ध आय के पांच स्रोतों में से) की भागीदारी परिवार की कुल आय का ५०% या अधिक है तो इस स्रोत के अनुरूप प्ररूप प्रदान किया जाएगा ।

१.९.५.२ एक परिवार को 'कृषि-श्रम या कृषि में स्व-नियोजित' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उसकी उस स्रोत से कुल आय आय का ५०% या अधिक होनी चाहिये । यदि ऐसा कोई स्रोत नहीं है जो परिवार की कुल आय का ५०% या अधिक देता हो तो उसे निम्नलिखित क्रियाविधि द्वारा अन्य प्ररूपों में से एक प्ररूप दिया जाएगा ।

१.९.५.३ गैर कृषि में स्व-नियोजित' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उसकी उस स्रोत से परिवार की आय ग्रामीण श्रम (सभी मजदूरी प्रदत्त शारीरिक श्रम) से हुई इसकी आय और साथ ही अन्य आर्थिक कार्यकलापों से हुई आय के योग से अधिक होनी चाहिये (यहां एक त्रिमार्गी विभाजन पर विचार किया जाना है)।

१.९.५.४ एक परिवार जिसे S.E.N.A., A.L. या S.E.A. प्ररूप में से एक प्रदान नहीं किया गया उसे अन्य श्रम (O.L) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि उसकी ग्रामीण श्रम (सभी मजदूरी प्रदत्त शारीरिक श्रम) से आय, स्व-नियोजन और साथ ही अन्य आर्थिक कार्यकलापों से प्राप्त आय से अधिक है (पुनः एक त्रीमार्गी विभाजन) । अन्य सभी परिवारों को 'अन्य'(O.T.H) के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा ।

१.९.५.५ नगरीय क्षेत्रों के लिए पारिवारिक आय के चार स्रोतों के अनुरूप विभिन्न नगरीय प्ररूपों पर विचार किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से हटकर जहां पांच स्रोतों पर विचार किया गया है । एक नगरीय परिवार को पिछले ३६५ दिनों के दौरान किए गए आर्थिक कार्यकलापों से प्राप्त आय के मुख्य स्रोत के अनुरूप प्ररूप SE, RWS, CL या OTH दिया जाएगा । एक परिवार जिसे आर्थिक कार्यकलापों से कोई आय प्राप्त नहीं हुई, को अन्य (O.T.H) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा ।

१.९.६ अवासीय इकाई : यह वह आवास है, जिसका उपयोग एक परिवार अपने रहने के लिए करता है । यह एक पूर्ण संरचना या उसका एक हिस्सा या एक से अधिक संरचनाओं का योग हो सकत है । ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां एक से अधिक परिवार एक एकल संरचना में निवास करते हैं जैसे वे जो स्वतंत्र फ्लैटों में रहते हैं

या एक एकल आवासीय इकाई में साझा रहते हैं । ऐसे मामलों में उतनी ही आवासीय इकाइयां मानी जायेंगी, जितने परिवार उस संरचना में साझा रहते हैं । ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां एक ही परिवार एक से अधिक संरचनाओं में निवास करता है (अर्थात् बैठने, सोने, खाना पकाने, नहाने आदि के लिए अलग-अलग संरचनायें)। इस मामले में सभी संरचनायें मिलकर एक एकल आवासीय इकाई बनाती हैं । सामान्यतया एक आवासीय इकाई में आवास-कमरा, रसोई, भंडार, स्नानागार, शौचालय, गराज, खुला और बंद बरामदा आदि होते हैं । यदि एक संरचना या उसके एक हिस्से का उपयोग अनन्य रुप से आवासीय उद्देश्य के अलावे किसी अन्य उद्देश्य में किया जाता है या किसी दूसरे परिवार को दे दिया गया हो तो उसे विचारार्थ परिवार की आवासीय इकाई का हिस्सा नहीं माना जायेगा । तथापि यदि एक संरचना के किसी हिस्से का उपयोग आवासीय और गैर-आवासीय दोनों उद्देश्यों में होता है और जब उसका उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए केवल नाममात्र का नहीं होता है तो उसे आवासीय इकाई का हिस्सा माना जायेगा । आवासीय इकाई के अंतर्गत एक परिवार द्वारा उपयोग की जा रही सभी पक्की, अर्ध-पक्की और कच्ची संरचनायें आती हैं । वे परिवार जो न्यूनाधिक पुलों के नीचे, पाइपों में, सीढ़ी के नीचे, सड़क किनारे बनाये गये अस्थायी हल्के कामचलाऊ प्रबंध (जिसे कभी भी हटाया जा सकता है) में रहते हैं, उन्हें बगैर किसी आवास के माना जाता है ।

१.९.७ स्वामित्वाधीन भूमि : भूमि का एक भूखण्ड "परिवार के स्वामित्वाधीन" माना जायेगा, यदि वह हस्तांतरण संबंधी अधिकार सहित या अधिकार के बिना स्थायी पैतृक कब्जे में परिवार के एक सदस्य या सदस्यों के अधिकार में है । लम्बे समय के लिए पट्टे पर या अनुबंध के अन्तर्गत ली गई स्वामित्व जैसी कब्जे वाली भूमि भी स्वाधिकृत भूमि मानी जायेगी । अतः किसी भूखण्ड के स्वामित्व के निर्धारण में मूलतः निम्नलिखित संकल्पनायें शामिल हैं :

- परिवार द्वारा स्वाधिकृत भूमि अर्थात् हस्तांतरण संबंधी अधिकार सहित या अधिकार के बिना जिसके स्थायी वंशागतिशील कब्जे का अधिकार परिवार के पास है । उदाहरणार्थ, पट्टेदार, भूमिदार, जेंमन, भूमिस्वामी, रयात, सिथिबन आदि । स्वामी द्वारा कोई भूखंड बिना स्थायी वंशागतिशील कब्जे के अधिकार को खोए किसी को पट्टे पर दिया जा सकता है ।

- विशेष स्थिति में धारित भूमि जैसे कि भूमि धारक के नाम से नहीं है परंतु उसके पास उस जमीन को लम्बे समय तक रखने का अधिकार है (उदाहरणस्वरुप चिरस्थायी पट्टे, पैतृक काश्तकारी और ३० वर्ष या उससे अधिक वर्षों की लम्बी अवधि के अन्तर्गत पट्टे पर ली गई भूमि), को स्वामित्व जैसे कब्जे वाली भूमि माना जायेगा । ऐसे राज्यों में जहां पुराने काश्तकारों के पूर्ण स्वामित्व हेतु भूमि सुधार कानून लागू किया गया है, उन्हें भी स्वामित्व जैसे कब्जे वाली भूमि माना जायेगा, भले ही उन्होंने पूरे मुआवजे का भुगतान नहीं किया हो ।

- कभी-कभी स्थानीय प्रमुख या ग्राम/जिला परिषद से पारंपरिक जनजातीय अधिकारों के अनुसार किसी आदिवासी द्वारा कोई भूमि धारित की गयी रहती है । पुनः किसी पट्टेदार द्वारा कोई भूमि दखल की हुई हो सकती है जिसका स्वामित्वाधिकार समुदाय के पास है । ऐसे दोनों मामलों में, आदिवासी या अन्य व्यक्ति-विशेष (पट्टेदार) को स्वामी माना जायेगा, ऐसे सभी मामलों के लिए यह भूमि धारक की स्वामित्व जैसे कब्जे वाली भूमि मानी जायेगी ।

- प्रायः परिवार द्वारा धारित भूमि का स्वामित्व परिवार के मुखिया के पास होता है, जो एक भिन्न नगर या ग्राम में रहता है और इसकारण वह परिवार का एक सदस्य नहीं होता है । ऐसे मामलों में, उस भूमि को उस परिवार के स्वामित्व में न मानकर उसके द्वारा पट्टे पर ली हुई माना जायेगा ।

१.९.८ धारित भूमि : धारित भूमि के क्षेत्रफल में परिवार द्वारा 'स्वाधिकृत', 'पट्टे पर ली गई' और 'न ही स्वाधिकृत न ही पट्टे पर ली गई' (अर्थात् अतिक्रमणित) भूमि शामिल की जायेगी, पर 'पट्टे पर दी गई', को बाहर रखा जायेगा । ध्यान दें :-

- 'पट्टे' के सम्बन्ध में, भूमि के स्वामी द्वारा पैतृक स्वामित्वाधिकार सुपुर्द किये बिना किसी को किराये पर या निःशुल्क दी गई भूमि 'पट्टे पर दी गई भूमि' मानी जायेगी । 'पट्टे पर ली गई भूमि' उस भूमि

को माना जायेगा जिसे परिवार ने बगैर स्थायी या पैतृक स्वामित्वाधिकार के किराये पर या निःशुल्क ले रखी है । पट्टे का अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है ।

- परिवार के कब्जे के अधीन सार्वजनिक/संस्थागत भूमि के एक टुकड़े के लिए, यदि परिवार के पास उस भूमि का मालिकाना हक नहीं है और न ही उसके उपयोग के लिए कोई पट्टे का समझौता, मौखिक या लिखित, है, तो ऐसी भूमि को 'न स्वामित्वाधीन न पट्टे पर ली गई' माना जायेगा । परिवार द्वारा बगैर मालिकाना हक और कब्जे के अधिकार के धारित गैर-सरकारी भूमि (अर्थात् पारिवारिक क्षेत्र द्वारा धारित भूमि) को 'अन्यथा धारित' कोटि में नहीं रखा जायेगा । परिवार द्वारा अधिक्रमणित सभी गैर-सरकारी भूमि 'पट्टे पर ली गई' मानी जायेंगी ।
- भूमि का स्वामी, जो अन्यत्र रहता है (और एक भिन्न परिवार बनाता है) से पारिवारिक सम्बन्ध होने के कारण पारिवारिक सदस्यों द्वारा धारित भूमि भी पट्टे पर ली गई मानी जायेगी । ऐसे स्वामियों (जो अपने पारिवारिक सदस्यों, जिनके कब्जे में भूमि है, से दूर रहते पाये गये) के लिए, वह भूमि मालिकाना हक वाली और पट्टे पर दी हुई के तौर पर दर्ज किया जायेगा ।
- यह ध्यान रखा जाये कि एक खाश परिवार द्वारा धारित, पट्टे पर ली हुई आदि भूमि में परिवार के नौकर या सशुल्क अतिथियों, जिन्हें परिवार का सदस्य माना गया है, द्वारा धारित, पट्टे पर ली हुई आदि भूमि का क्षेत्रफल शामिल नहीं किया जायेगा । तथापि, दो या अधिक परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से स्वाधिकृत/जोती गई भूमि को संविभाजित करके एक परिवार द्वारा स्वाधिकृत/जोती गई भूमि का निर्धारण किया जायेगा ।
- फ्लैटों वाले एक ब्लॉक में रहने वाले परिवारों द्वारा धारित भूमि की गणना जिस भूमि पर भवन स्थित है उसके क्षेत्रफल को परिवारों के फ्लैटों के आकारों के अनुपात के हिसाब से की जायेगी ।

१.९.९ कृषित भूमि : कृषित भूमि को कृषि वर्ष के दौरान *निवल बोया गया क्षेत्रफल* (क्षेत्र फसलों से बोया गया क्षेत्र और फलोद्यान एवं बगीचा के अंतर्गत क्षेत्र जिन्हें एक कृषि वर्ष में केवल एक बार गिना जायेगा) के रूप में परिभाषित किया गया है । कृषित भूमि 'स्वाधिकृत भूमि' 'पट्टे पर ली गई भूमि' या 'अन्यथा धारित (न स्वाधिकृत न पट्टे पर ली हुई)' में से हो सकती है ।

१.९.१० परिवार का मासिक प्रति व्यक्ति व्यय : पारिवारिक उपभोक्ता व्यय की माप, किसी एक विनिर्दिष्ट अवधि, जिसे संदर्भ अवधि कहा जाता है, के दौरान एक परिवार द्वारा घरेलू खाते में किये गये व्यय के रुप में की जाती है । इसमें उन वस्तुओं और सेवाओं का आरोपित मूल्य भी शामिल होता है, जिन्हें उपभोग के लिए खरीदा नहीं गया है बल्कि किसी दूसरे ढ़ंग से प्राप्त किया गया है । दूसरे शब्दों में, यह परिवार द्वारा संदर्भ अवधि के दौरान घरेलू खाते में उपभुक्त सभी मदों (अर्थात् वस्तु और सेवाओं) के मौद्रिक मूल्य का कुल योग होता है । स्वामी के कब्जे वाले मकानों का आरोपित किराया उपभोक्ता व्यय से घटा दिया जाता है । परिवार के उत्पादक उद्यमों पर किये गये एक व्यय को भी परिवारिक उपभोक्ता व्यय से घटा दिया जाता है । ३० दिनों की एक अवधि की पारिवारिक उपभोक्ता व्यय को परिवार के आकार से भाग देकर मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (मा प्र व्य व्य) प्राप्त किया जाता है ।

१.९.११ आर्थिक कार्यकलाप : मानव के कार्यकलापों को दो कोटियों में रखा जा सकता है :- आर्थिक कार्यकलाप और गैर-आर्थिक कार्यकलाप । कोई कार्यकलाप, जिससे ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जो राष्ट्रीय उत्पाद में अभिवृद्धि करते हैं, आर्थिक कार्यकलाप माना जाता है । आर्थिक कार्यकलाप के दो भाग हैं -- बाजारी कार्यकलाप और गैर-बाजारी कार्यकलाप । बाजारी कार्यकलाप वह है जिसमें कार्यकलाप करने वाले के लिए पारिश्रमिक शामिल होता है अर्थात् वेतन या लाभ के लिए किया गया कार्यकलाप । ऐसे कार्यकलापों में, बाजार के लिए किये गये सभी वस्तुओं और सेवाओं, सरकारी सेवाओं आदि सहितें, के उत्पादन शामिल हैं । गैर-बाजारी कार्यकलाप में, स्व-उपभोग के लिए मूल-पण्यों का उत्पादन और अचल परिसम्पत्तियों के स्व-कार्यरत उत्पादन शामिल हैं ।

१.९.११.१ आर्थिक कार्यकलापों के सम्पूर्ण वर्णक्रम को, जैसा कि राष्ट्रीय लेखा की संयुक्त राष्ट्र पद्धति में परिभाषित किया गया है, रा.प्र.स.सं. के रोजगारी और बेरोजगारी सर्वेक्षणों में अपनायी गई परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है । राष्ट्रीय लेखा की संयुक्त-राष्ट्र पद्धति के अनुसार स्वयं के उपभोग के लिए किया गया

कोई उत्पादन आर्थिक कार्यकलाप माना जाता है परंतु रा प्र स सं के अनुसार स्वयं के उपभोग के लिए किया गया केवल प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन को ही आर्थिक कार्यकलाप माना जाता है । उपरोक्त पहली पद्धति में अन्य चीजों के साथ मूल उत्पादों के स्व-कार्यरत संसाधन जैसे कार्यकलाप शामिल हैं जबकि रा.प्र.स. सर्वेक्षणों में, स्व-उपभोग के लिए मूल-उत्पादों के किये गये संसाधन को आर्थिक कार्यकलाप नहीं माना जाता है । तथापि, इसका ध्यान रखा जाए कि 'स्वयं के उपभोग के लिए कृषि वस्तुओं का उत्पादन' के अधीन स्वयं के उपभाग के लिए सभी कार्यकलाप उत्पाद की कुटाई और भंडारण चरणों तक और उनके सहित रा.प्र.स.सं. के आर्थिक कार्यकलापों के दायरे के अधीन आते है ।

१.९.११.२ इस दौर में, रा.प्र.स.सं. के रोजगारी और बेरोजगारी सर्वेक्षण में 'आर्थिक कार्यकलाप' के अंतर्गत निम्नलिखित आयेंगे :

(i) ऊपर वर्णित सभी बाजारी कार्यकलाप, आर्थात् वेतन और लाभ के लिए किये गये कार्यकलाप, जिनके फलस्वरुप विनिमय के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है;

(ii) गैर-बाजारी कार्यकलाप, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्राथमिक क्षेत्र (अर्थात् **रा.औ.व. २००४ के उद्योग प्रभाग ०१ से १४**) से सम्बंधित सभी कार्यकलाप जिनसे स्वयं के उपभोग के लिए, अनाजों की पिटाई और भंडारण सहित प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन (न उगाई गई फसलों का मुफ्त संग्रह, वानिकी, जलाऊ लकड़ी एकत्र करना, शिकार करना, मछली पकड़ना आदि सहित) प्राप्त होते हैं; और

(ख) अचल परिसम्पत्तियों के स्वकार्यरत उत्पादन से सम्बंधित कार्यकलाप । अचल परिसम्पत्तियों के उत्पादन में अपना गृह, सड़क, कुआँ आदि का निर्माण तथा पारिवारिक उद्यम के लिए मशीनें, औजार आदि और किसी निजी या सामुदायिक सुविधा का निःशुल्क निर्माण भी शामिल हैं । एक व्यक्ति स्व-कार्यरत निर्माण में या तो एक मजदूर या एक पर्यवेक्षक के रुप में लगा हुआ हो सकता है ।

१.९.११.३ एक व्यक्ति के कार्यकलाप स्तर को इसका ध्यान रखे बिना निश्चित किया जायेगा कि किया गया कार्यकलाप तस्करी के रुप में गैर-कानूनी ढंग से किया गया है या नहीं । यद्यपि, पूर्व के दौरों की तरह ही वेश्यावृत्ति, भीख मांगना आदि कार्यकलापों को परम्परानुसार आर्थिक कार्यकलाप नहीं माना जायेगा, भले ही उनसे अर्जन प्राप्त होता हो ।

१.९.१२ कार्यकलाप स्तर : यह कार्यकलाप की वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति संदर्भ अवधि के दौरान आर्थिक और गैर-आर्थिक कार्यकलाप में लगा हुआ पाया जाता है । इसके अनुसार एक व्यक्ति संदर्भ अवधि के दौरान निम्नलिखित तीन स्थितियों में से किसी एक में या उनके सम्मिश्रण में लगा हुआ होगा :

(i) आर्थिक कार्यकलाप (कार्य) में कार्यरत है या कार्यरत रहा है ।

(ii) आर्थिक कार्यकलाप (कार्य) से जुड़ा नहीं रहा पर या तो ''काम'' प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है या ''कार्य'' मिलने पर करने को तैयार है । **और**

(iii) किसी कार्यकलाप (कार्य) से जुड़ा नहीं रहा और न ही ''कार्य'' के लिए उपलब्ध है ।

ऊपर (i) और (ii) में उल्लिखित कार्यकलाप स्तरें ''श्रमिक बल में रहने'' से संबंधित हैं और (iii) का संबंध ''श्रमिक बल में नहीं रहने'' से है । श्रमिक बल कार्यकलाप स्तरों में से उपरोक्त (i) "रोजगार" से और (ii) "बेरोजगारी" से सम्बद्ध है । तीन प्रधान कार्यकलाप स्तरों को पुनः कई विस्तृत कार्यकलाप श्रेणियों में उप-विभाजित किया गया है । ये निम्नलिखित हैं :-

(i) आर्थिक कार्यकलाप में कार्यरत है या कार्यरत रहा है (नियोजित) :-
  (क) एक स्व-कार्यरत कामगार के रुप में पारिवारिक उद्यम में कार्य किया (स्व-नियोजित)
  (ख) पारिवारिक उद्यम में एक नियोक्ता के रुप में कार्य किया (स्व-नियोजित)
  (ग) पारिवारिक उद्यम में एक सहायक के रुप में कार्य किया (स्व-नियोजित)

(घ) नियमित वैतनिक/मजदूरी कर्मचारी के रुप में कार्य किया
(ड.) सार्वजनिक कार्य में एक अनियत मजदूर के रुप में कार्य किया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (नरेगा) कार्यों को छोड़कर
(च) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (नरेगा) कार्यों में अनियत मजदूर के रुप में कार्य किया
(छ) अन्य प्रकार के कार्यों में अनियत मजदूर के रुप में कार्य किया
(ज) रुग्णता के कारण कार्य नहीं किया हालांकि पारिवारिक उद्यम में कार्य था
(झ) अन्य कारणों से कार्य नहीं किया हालांकि पारिवारिक उद्यम में कार्य था
(ञ) रुग्णता के कारण कार्य नहीं किया पर नियमित वैतनिक/मजदूरी पर नियोजित था
(ट) अन्य कारणों से कार्य नहीं किया पर नियमित वैतनिक/मजदूरी पर नियोजित था

(ii) कार्यरत नहीं रहा पर काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध रहा (बेरोजगार) :
(क) कार्य की तलाश की
(ख) तलाश नहीं की पर कार्य हेतु उपलब्ध रहा

(iii) कार्यरत नहीं रहा और न ही कार्य के लिए उपलब्ध (श्रमिक बल में नहीं) :
(क) शैक्षणिक संस्थान में उपस्थित रहा
(ख) घरेलू कार्य करता रहा
(ग) घरेलू कार्य में लगा रहा और पारिवारिक उपयोग हेतु वस्तुओं के निःशुल्क संग्रहण, सिलाई-कढ़ाई, बुनाई आदि में कार्यरत रहा
(घ) किराया, पेंशन, प्रेषित धन आदि का प्राप्तकर्त्ता
(ड.) विकलांगता के कारण कार्य करने में असमर्थ
(च) अन्य
(छ) रुग्णता के कारण कार्य नहीं (केवल अनियत मजदूरों के लिए)

१.९.१३ 'नियोजित', 'अनियोजित', 'श्रम बल', 'श्रम बल के बाहर' के विभिन्न घटकों की व्याख्या आगे की गई हैं :-

(क) कामगार (या नियोजित) : वे व्यक्ति कामगार माने जाते हैं जो संदर्भ अवधि के दौरान किसी कार्यकलाप में लगे हों या जो किसी कार्यकलाप से सम्बद्ध होने के बावजूद रुग्णता, चोट या अन्य शारीरिक असमर्थता, खराब मौसम, उत्सव, सामाजिक या धार्मिक समारोह या अन्य आकस्मिक स्थिति जिसमें अस्थाई अनुपस्थिति आवश्यक हो, कारणों से अपने कार्य से अस्थायी रुप से अनुपस्थित रहे हों । पारिवारिक कृषि या गैर-कृषि आर्थिक कार्यकलापों के संचालन में सहयोग करने वाले अवैतनिक सहायक को भी एक कामगार माना जाता है । सभी कामगारों के विस्तृत कार्यकलाप श्रेणी ''कार्यरत या आर्थिक कार्यकलाप में जुड़ा रहा'' के अंतर्गत आनेवाले विस्तृत कार्यकलाप स्तरों में से एक स्तर दिया जायेगा ।

(ख) काम की तलाश में या कार्य हेतु उपलब्ध (या बोरोजगार) : जो व्यक्ति काम की कमी के कारण संदर्भ अवधि के दौरान किसी कार्य में नहीं लग पाये परंतु वे या तो रोजगार कार्यालय, मध्यस्थ, मित्रों या संबंधियों के द्वारा या भावी नियोजक को आवेदन देकर कार्य की खोज करते रहे या कार्य की वर्त्तमान शर्तो एवं पारिश्रमिक पर कार्य करने को इच्छुक या उपलब्ध रहे हैं, वे ''काम की तलाश में या कार्य हेतु उपलब्ध (या बेरोजगार)'' माने जाते हैं ।

(ग) श्रम बल (लेबर फोर्स) : श्रम बल के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो संदर्भ अवधि के दौरान कार्यरत (या नियोजित) थे या ''काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध'' (या बेरोजगार) थे ।

(घ) श्रम बल के बाहर : वे व्यक्ति जो संदर्भ अवधि के दौरान न तो 'कार्यरत' थे और उसी समय विभिन्न कारणों से न 'काम की तलाश में या कार्य के लिए उपलब्ध' ही थे, उन्हें 'श्रमबल के बाहर' माना जाता है । इस श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं :- विद्यार्थी, घरेलू कार्य से जुड़े व्यक्ति, किराया पाने वाले, पेंशनभोगी, प्रेषित घन पाने वाले, दान पर जीने वाले, दुर्बल या विकलांग व्यक्ति, अल्पवयस्क या बहुत बूढ़े व्यक्ति, वेश्या आदि और रुग्णता के कारण कार्य न करने वाले अनियत मजदूर ।

१.९.१४ ध्यान दें कि कामगारों को फिर *स्व-नियोजित, नियमित वेतन/मजदूरी पाने वाले कर्मचारी* और *अनियत मजदूरी पाननवाले मजदूर* के रुप में श्रेणीबद्ध किया गया है । इन श्रेणियों की व्याख्या आगे के अनुच्छेदों में किया गया है ।

१.९.१५ स्व-नियोजित : वे व्यक्ति जो अपना स्वयं का कृषि या गैर-कृषि उद्यम चलाते हैं या जो किसी धंधे या स्व-कार्यरत व्यवसाय में स्वतंत्र रुप से या एक या कुछ साझीदारों के साथ सम्बद्ध हैं वे पारिवारिक उद्यम में स्व-नियोजित माने जाते हैं । स्व-नियोजित की आवश्यक विशेषता यह है कि उन्हें अपना संकार्य करने के लिए *स्वायत्तता* (अर्थात् उत्पादन कैसे, कहाँ और कब किया जाये) और *आर्थिक स्वतंत्रता* (अर्थात् बाजार, संकार्य का पैमाना और धन सम्बंधी) प्राप्त होती है । उनके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले पारिश्रमिक के दो अभिन्न भाग होते हैं -- उनके श्रम के लिए एक पुरस्कार और उनके उद्यम का लाभ । दूसरे शब्दों में, उनकी पारिश्रमिक का निर्धारण पूर्णतः या मुख्यतः उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या लाभ द्वारा किया जाता है ।

स्वनियोजित व्यक्तियों को आगे निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(i) **स्व-कार्यरत कामगार** : ये स्व-नियोजित व्यक्ति हैं जो अपना उद्यम स्वकार्यरत रुप से या किसी एक या कुछ साझीदारों के साथ मिलकर चलाते हैं और जिन्होंने संदर्भ अवधि के दौरान कुल मिलाकर अपना उद्यम भाड़े के मजदूरों के बिना चलाया हो । तथापि, उनके पास उद्यम के कार्यकलाप में सहयोग के लिए अवैतनिक सहायक हो सकते हैं ।

(ii) **नियोक्ता** : वे स्व-नियोजित व्यक्ति जो स्व-कार्यरत या एक अथवा कुछ साझीदारों के साथ अपना कार्य करते हैं और अपना उद्यम मजदूरों को भाड़े पर लेकर चलाते हैं, वे नियोक्ता कहलाते हैं ।

(iii) **पारिवारिक उद्यम में सहायक (हेल्पर)** : सहायक स्व-नियोजित व्यक्तियों की एक श्रेणी है जो अपने आप को अपने स्वयं के पारिवारिक उद्यम में सम्बद्ध रखते हैं, अपना कार्य पूर्णकालिक या अंशकालिक तौर पर करते हैं और किये गये कार्य के बदले में कोई नियमित वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं । वे पारिवारिक उद्यम को स्वयं नहीं चलाते परन्तु उद्यम चलाने में उसी परिवार के अन्य सम्बद्ध व्यक्ति की मदद करते हैं ।

१.९.१६ ऐसे कामगारों की एक कोटि होती है जो अपनी पसंद के स्थान पर, अर्थात् उन्हें नियोजित करने वाले या उनके उत्पादों को बेचने वाले अधिष्ठान के बाहर, कार्य करते हैं । ऐसे कामगारों के लिए सामान्यतः विभिन्न सम्बोधन, जैसे 'गृह कामगार', 'गृह आधारित कामगार' और 'बाहरी कामगार' दिये जाते हैं । इस सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए, ऐसे सभी कामगारों को 'स्व-नियोजित' के रुप में श्रेणीबद्ध किया जायेगा । 'गृह कामगार' को अपना कार्य करने के लिए *स्वायत्तता का कुछ अंश* और *आर्थिक स्वतंत्रता* प्राप्त होती है और उनके कार्यों का प्रत्यक्ष *पर्यवेक्षण* नहीं होता है जैसा कि *कर्मचारियों* के मामले में होता है । अन्य स्व-नियोजित के समान, इन कामगारों को कुछ लागतें उठानी पड़ती हैं, जैसे वे जहाँ कार्य करते हैं उन भवनों का वास्तविक या आरोपित किराया, गरम करने, प्रकाश और पावर, भंडारण या परिवहन आदि पर किये गये व्यय । इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि इनके पास उत्पादन के कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधन होते हैं । ध्यान दें कि उत्पादन के लिए *कर्मचारियों* को ऐसे निवेशों की आवश्यकता नहीं होती है ।

१.९.१७ विस्तार में कहा जा सकता है कि 'बाहर रखना (putting out)' उत्पादन प्रक्रिया में प्रचलित है जिसके अंतर्गत उत्पादन का एक हिस्सा अर्थात् 'बाहर' रखे हुए का उत्पादन विभिन्न पारिवारिक उद्यमों में (और नियोजक के अधिष्ठान में नहीं) किया जाता है । उदाहरणार्थ, एक बिड़ी निर्माता से आदेश प्राप्त करने वाले बिड़ी कारीगरों को गृह कामगार माना जायेगा, भले ही उन्हें कच्चामाल (पत्ते, मसाला आदि), उपस्कर (कैंची) और उत्पादन के अन्य साधनों की आपूर्ति की जाती हो अथवा नहीं । प्राप्त शुल्क या पारिश्रमिक के दो भाग होते हैं -- उनके श्रम का हिस्सा और उद्यम का लाभ । कुछ मामलों में, भुगतान पीस-दर पर आधारित हो सकता है । इसी प्रकार, एक महिला एक थोकविक्रेता के आदेश पर सिलाई या कढ़ाई का कार्य करती है, अथवा कुछ

विशेष इकाई/ठेकेदार/व्यापारी से आदेश पाकर अपने घर पर पापड़ बनाती हैं तो उसे 'गृह कामगार' माना जाता है । दूसरी ओर, यदि वह यह कार्य नियोजक के परिसर में करती है तो उसे *कर्मचारी* माना जायेगा । पुनः यदि वह इस प्रकार के कार्यकलाप किसी बाहरी आदेश पर नहीं बल्कि अपने उत्पादों को स्वयं/अन्य पारिवारिक सदस्यों के द्वारा लाभ कमाने के लिए बाजार में बेचती है, और साथ ही वह न्यूनाधिक नियमित अधार पर किसी किराये के सहायक को नियोजित नहीं करती है, तो उसे एक स्व-कार्यरत कामगार माना जायेगा ।

१.९.१८ नियमित वेतन/मजदूरी प्राप्त कर्मचारी : दूसरों की कृषि या गैर-कृषि उद्यमों (पारिवारिक और गैर-पारिवारिक दोनों) में काम करने वाले और बदले में नियमित रुप से (कार्य अनुबंध के दैनिक या मीयादी नवीकरण के आधार पर नहीं) वेतन या मजदूरी पाने वाले व्यक्ति नियमित वेतन/मजदूरी प्राप्त कर्मचारी हैं । इस श्रेणी के अंतर्गत केवल मीयादी मजदूरी पानेवाले ही नहीं बल्कि मजदूरी या वेतन का हिस्सा प्राप्त करने वाले और भुगतान प्राप्त अंशकालिक और पूर्णकालिक प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) भी आते हैं ।

१.९.१९ अनियत (कैजुअल) मजदूर : ये वे व्यक्ति हैं जो किसी अन्य की कृषि या गैर-कृषि उद्यमों (पारिवारिक और गैर-पारिवारिक दोनों) में अनियत रुप से लगे होते हैं और अपने कार्य के बदले दैनिक या मीयादी अनुबंध की शर्तों के अनुसार मजदूरी पाते हैं । प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के अनियत मजदूर भी देखे जाते हैं जो साधारणतः अपने आपको ''लोक निर्माण कार्यों'' में लगाये रखते हैं । 'लोक निर्माण कार्य' की संकल्पना की चर्चा इस अध्याय में आगे की गई है ।

१.९.२० कार्यकलाप स्तर के निर्धारण के विभिन्न रास्ते : सर्वेक्षित व्यक्तियों को, उनके द्वारा कुछ विनिर्दिष्ट संदर्भ अवधियों के दौरान किये गये कार्यकलापों के आधार पर विभिन्न कार्यकलाप श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जाना है । इस सर्वेक्षण के लिए तीन संदर्भ अवधियां हैं, जैसे, (i) एक वर्ष, (ii) एक सप्ताह और (iii) संदर्भ सप्ताह का प्रत्येक दिन । इन तीन अवधियों के आधार पर कार्यकलाप स्तर के तीन मापों पर पहुंचा जाता है । इन्हें क्रमशः *प्रायिक स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर* और *चालू दैनिक स्तर* नाम दिया गया है । वह कार्यकलाप स्तर जो १ वर्ष की संदर्भ अवधि के आधार पर निकाला गया है, एक व्यक्ति का *प्रायिक कार्यकलाप स्तर* है । १ सप्ताह की संदर्भ अवधि के आधार पर निकाले गये को एक व्यक्ति का *चालू साप्ताहिक स्तर* (cws) तथा १ दिन की संदर्भ अवधि के आधार पर निकाले गये को एक व्यक्ति का *चालू दैनिक स्तर* (cds) कहा गया है ।

१.९.२१ जब व्यक्ति के लिए तीनों प्रकार के प्रमुख कार्यकलाप स्तर अर्थात् 'नियोजित', 'बेरोजगार' और 'श्रम-बल में नहीं' साथ-साथ ज्ञात होते हैं तो उसे एक स्थिति में रखना एक समस्या होती है । ऐसी सम्भाव्यता के मामले में तीन प्रमुख कार्यकलाप स्तरों में से किसी एक के अधीन अनन्य पहचान या तो *अधिक समय मापदंड* या *प्राथमिकता मापदंड* को अपनाते हुए की जायेगी । पहले कहे का उपयोग व्यक्तियों का वर्गीकरण 'प्रायिक कार्यकलाप स्तर' के अधीन और दूसरे का 'चालू कार्यकलाप स्तर' के अधीन करने के लिए किया जाता है । यदि उपरोक्त दो मापदंडों में से एक को अपनाने पर, आर्थिक कार्यकलाप में लगा एक व्यक्ति संदर्भ अवधि के दौरान एक से अधिक आर्थिक कायर्कलाप करता हुआ पाया जाता है तो उसकी उपयुक्त विस्तृत कार्यकलाप स्तर श्रेणी का सम्बंध उस कार्यकलाप से होगा जिसमें उसने अपेक्षाकृत अधिक समय लगाया है । इसी प्रकार का उपाय गैर-आर्थिक कार्यकलापों के लिए भी किया जायेगा ।

१.९.२२ प्रायिक कार्यकलाप स्तर : प्रायिक कार्यकलाप स्तर सम्बंध सर्वेक्षण तिथि से पिछले ३६५ दिनों के दौरान किसी व्यक्ति के कार्यकलाप स्तर से है । व्यक्ति द्वारा सर्वेक्षण तिथि से पिछले ३६५ दिनों के दौरान जिस कार्यकलाप स्तर में अपेक्षाकृत अधिक समय (अधिक समय मापदंड) बिताया गया, उसे उस व्यक्ति का *प्रमुख प्रायिक कार्यकलाप स्तर* माना जाता है । एक व्यक्ति के प्रमुख प्रायिक कार्यकलाप के निर्धारण के लिए, सर्वप्रथम उसका श्रेणीकरण **अधिक समय मापदंड के आधार पर** श्रम-बल का है या नहीं के रुप में किया जाता है । इस प्रकार, जो व्यक्ति श्रम बल में नहीं पाये जाते हैं, उन्हें प्रमुख कार्यकलाप स्तर 'न कार्यरत न कार्य हेतु उपलब्ध' प्रदान किया जाना है । उन व्यक्तियों के लिए जो श्रमबल में पाये जाते हैं, प्रमुख कार्यकलाप स्तर 'कार्यरत' या 'कार्यरत नहीं पर कार्य की तलाश में और/या कार्य हेतु उपलब्ध' इस आधार पर निर्धारित किया जायेगा कि सर्वेक्षण तिथि से पिछले ३६५ दिनों के दौरान उन्होंने श्रमबल में अपेक्षाकृत कितना अधिक समय बिताया । इस प्रकार निर्धारित प्रमुख कार्यकलाप स्तर में, एक से अधिक कार्यकलाप करने वाले एक व्यक्ति की

विस्तृत कार्यकलाप स्तर श्रेणी का निर्धारण उसके द्वारा बिताये गये अपेक्षाकृत लम्बे समय के आधार पर किया जायेगा ।

१.९.२३ गौण आर्थिक कार्यकलाप : एक व्यक्ति, जिसका प्रधान प्रायिक कार्यकलाप स्तर अधिक समय मापदंड के आधार पर निर्धारित कर लिया गया है, ने सर्वेक्षण तिथि से पिछेले ३६५ दिनों के दौरान हो सकता है **३० दिन या अधिक के लिए** कुछ अन्य आर्थिक कार्यकलाप भी किया हो । वह स्तर, जिसमें इस प्रकार का एक आर्थिक कार्यकलाप सर्वेक्षण तिथि से पिछले ३६५ दिनों के दौरान किया गया है, उस व्यक्ति का गौण आर्थिक कार्यकलाप स्तर है । अनेक गौण आर्थिक कार्यकलापों के मामले में, उसे प्रमुख कार्यकलाप और स्तर माना जायेगा जिसमें अपेक्षाकृत लम्बा समय बिताया गया है । यह ध्यान रखा जाये कि गौण रुप से काम में रत रहने की स्थिति निम्नलिखित दो परिस्थितियों में हो सकती हैं :-

(i) एक व्यक्ति ३६५ दिनों के दौरान अपेक्षाकृत लम्बे समय तक आर्थिक (गैर-आर्थिक कार्यकलाप) में और अपेक्षाकृत एक लघु अवधि, जो ३० दिनों से कम की नहीं होगी, के लिए अन्य आर्थिक कार्यकलाप (किसी भी आर्थिक कार्यकलाप) में लगा हो सकता है;

(ii) एक व्यक्ति मुख्य स्तर में लगभग पूरे वर्ष एक आर्थिक कार्यकलाप (गैर-आर्थिक कार्यकलाप) में लगा हो सकता है और साथ ही वह अपेक्षाकृत कम समय के लिए किसी अन्य आर्थिक कार्यकलाप (किसी भी आर्थिक कार्यकलाप) में **गौण रुप** से लगा हो सकता है । ऐसे मामलों में, चूंकि दोनों कार्यकलाप पूरे वर्ष भर किये जाते हैं और इस प्रकार दोनों कार्यकलापों की अवधि ३० दिनों से अधिक की है, इसलिए अपेक्षाकृत कम समय के लिए किये जाने वाले कार्यकलाप को उस व्यक्ति का गौण कार्यकलाप माना जायेगा ।

१.९.२४ चालू साप्ताहिक कार्यकलाप स्तर : एक व्यक्ति का चालू साप्ताहिक कार्यकलाप स्तर सर्वेक्षण तिथि से पिछले ७ दिनों के दौरान उस व्यक्ति का कार्यकलाप स्तर है । इसका निर्धारण **एक निश्चित प्राथमिकता-सह-अधिक समय मापदंड** के आधार पर किया जाता है । प्राथमिकता मापदंड के अनुसार, 'कार्यरत नहीं पर कार्य की तलाश में या कार्य के लिए उपलब्ध' की अपेक्षा 'कार्यरत' को प्राथमिकता मिलेगी और 'न कार्यरत न कार्य के लिए उपलब्ध' की अपेक्षा 'कार्यरत नहीं पर कार्य की तलाश में या कार्य हेतु उपलब्ध' को । *एक व्यक्ति को कार्यरत(या नियोजित)माना जाता है यदि उसने किसी आर्थिक कार्यकलाप को सर्वेक्षण तिथि से पिदले ७ दिनों के दौरान कम से कम एक दिन में कम से कम एक घंटे के लिए किया हो ।* एक व्यक्ति को 'कार्य की तलाश में या कार्य के लिए उपलब्ध*(या बेरोजगार)*' माना जाता है यदि संदर्भ सप्ताह के दौरान उस व्यक्ति द्वारा कोई भी आर्थिक कार्यकलाप नहीं किया गया पर वह उसने कार्य पाने का प्रयत्न किया था या वह संदर्भ सप्ताह के दौरान कार्य के लिए उपलब्ध था यद्यपि उसने इस विचार से सक्रिय रुप से कार्य की तलाश नहीं की कि कार्य उपलब्ध नहीं है । एक व्यक्ति जो संदर्भ सप्ताह के दौरान किसी भी समय न तो कार्यरत रहा न ही कार्य के लिए उपलब्ध रहा, उसे गैर-आर्थिक कार्यकलापों में संलग्न (या श्रमबल में नहीं) माना जाता है । 'प्राथमिकता' मापदंड के आधार पर एक व्यक्ति का प्रमुख चालू साप्ताहिक कार्यकलाप स्तर मालूम करने के बाद, *यदि वह व्यक्ति अनेक आर्थिक कार्यकलापों में लगा हुआ पाया जाता है तो 'अधिक समय' मापदंड के आधार पर* उसका विस्तृत चालू साप्ताहिक कार्यकलाप स्तर भी निर्धारित कर लिया जाना है ।

१.९.२५ चालू दैनिक कार्यकलाप स्तर : जनसंख्या का कार्यकलाप प्रतिरुप, विशेष कर असंगठित क्षेत्र में, ऐसा है कि एक सप्ताह के दौरान और कभी-कभी एक दिन में भी एक व्यक्ति एक से अधिक कार्यकलाप करता हुआ पाया जा सकता है । इसके अलावे, कई व्यक्ति आर्थिक और गैर-आर्थिक कार्यकलापों में एक संदर्भ सप्ताह के किसी एक ही दिन लगे हुए पाये जा सकते हैं । एक व्यक्ति के लिए चालू दैनिक कार्यकलाप स्तर का निर्धारण संदर्भ सप्ताह के प्रत्येक दिन के उसके कार्यकलाप स्तर के आधार पर **एक प्राथमिकता-सह-अधिक समय मापदंड** (दिन प्रति दिन श्रम समय के वितरण) का उपयोग करके किया जाता है । एक व्यक्ति का चालू दैनिक स्तर निकालने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाये :

➢ कार्यकलाप स्तर निर्धारित करने के लिए संदर्भ सप्ताह के प्रत्येक दिन को या तो दो 'आधे दिन' या एक 'पूर्ण दिन' के रुप में लिया गया है ।

- ➢ एक व्यक्ति पूरे दिन के लिए 'कार्यरत' (नियोजित) माना जाता है यदि उसने उस दिन के दौरान ४ घंटे या अधिक के लिए कार्य किया हुआ है ।
- ➢ यदि एक व्यक्ति एक दिन में एक से अधिक आर्थिक कार्यकलापों में ४ घंटे या अधिक के लिए लगा रहा, तो उसे विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों में से उन दो आर्थिक कार्यकलापों को प्रदान किया जायेगा, जिन पर उसने संदर्भ दिवस में अपेक्षाकृत अधिक समय बिताया है । ऐसे मामलों में, उन दोनों आर्थिक कार्यकलापों में से प्रत्येक के लिए एक 'आधे दिन' के कार्य पर विचार किया जायेगा (अर्थात् इन दोनों आर्थिक कार्यकलापों में से प्रत्येक के लिए ०.५ प्रगाढ़ता (intensity) दी जायेगी ।)
- ➢ यदि एक व्यक्ति ने *१ घंटे या अधिक पर ४ घंटे से कम* कार्य किया है, तो उसे आधे दिन के लिए 'कार्यरत' (नियोजित) माना जायेगा और दिन के दूसरे आधे के लिए उसे यह देखते हुए 'कार्य की तलाश में या कार्य हेतु उपलब्ध' (बेरोजगार) या 'न कार्य की तलाश में न कार्य हेतु उपलब्ध' (श्रम बल) माना जायेगा कि वह कार्य की तलाश में/उसके लिए उपलब्ध था या नहीं ।
- ➢ यदि एक व्यक्ति एक दिन में १ घंटे के लिए भी 'कार्य' में रत नहीं था, पर वह ४ घंटे या अधिक अवधि के लिए कार्य की तलाश में/उपलब्ध था, तो उसे पूरे दिन के लिए 'बेरोजगार' माना जाता है । परंतु यदि वह 'कार्य की तलाश् में/उपलब्ध' केवल १ घंटे से अधिक और ४ घंटे से कम के लिए था, तो उसे आधे दिन के लिए 'बेरोजगार' और दूसरे आधे के लिए 'श्रमबल में नहीं' माना जाता है ।
- ➢ एक व्यक्ति जिसके पास आधे दिन के लिए भी कोई 'कार्य' नहीं था और न ही वह 'कार्य' के लिए उपलब्ध ही था, उसे पूरे दिन के लिए 'श्रमबल में नहीं' माना जाता है और उसे उसके द्वारा संदर्भ दिवस के दौरान किये गये कार्यकलाप के आधार पर एक या दो विस्तृत गैर-आर्थिक कार्यकलाप स्तर दिया जाता है ।

ध्यान दिया जाये कि प्रगाढ़ता (intensity) देते समय, उस कार्यकलाप के लिए १.० प्रगाढ़ता दी जायेगी जो 'पूर्ण दिवस' किया गया है और ०.५ प्रगाढ़ता उसे दी जायेगी जो 'अर्ध दिवस' किया गया है ।

१.९.२६ नाममात्र का कार्य : संदर्भ सप्ताह के दौरान एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में १-२ घंटे के लिए किये गये कार्य हेतु उस व्यक्ति के लिए नाममात्र के कार्य सहित एक दिन कहा जायेगा । संदर्भ सप्ताह के दिन-प्रतिदिन के श्रम-समय वितरण में ऐसे एक दिन के कार्य को 'आधे-दिन' का कार्य माना जाता है (और इसे गणना के समय आधी प्रगाढ़ता दी जायेगी) ।

१.९.२७ प्रचालन (ऑपरेशन) : यह एक व्यक्ति द्वारा संदर्भ अवधि के दौरान किए गए कार्य का एक प्रकार है जैसे, शारीरिक, गैर-शारीरिक, कृषि, गैर-कृषि आदि । किए गए कार्य के अनुरुप कार्यकलाप स्तर और उद्योग के साथ प्रचालन संबंधित होता है । प्रचालन के प्रकार से संबंधित सूचना **केवल ग्रामीण क्षेत्रों और चालू स्तर के संबंध में ही एकत्र** की जाएगी । विभिन्न प्रकार के प्रचालन निम्नलिखित हैं :- जुताई, बुवाई, पौध रोपण, निराई, फसल कटाई और अन्य शारीरिक तथा गैर-शारीरिक प्रचालन । अंतिम दो मामलों में कार्य जिस क्षेत्र में किया गया हो, उसे उद्योग द्वारा दर्शाया जाता है । यह ध्यान रखा जाए कि ''नियमित वैतनिक/मजदूरी प्राप्त कर्मचारी'' यदि छुट्टी में हो, तो उनके लिए ''प्रचालन'' का संबंध उनके कार्य (जिससे वे अस्थायी छुट्टी पर हैं) में उनकी निजी क्रिया से है । उसी प्रकार उनलोगों के लिए जो कि ''स्वनियोजित'' की श्रेणी में वर्गीकृत किए गए हों लेकिन काम रहते हुए भी वे किसी विशेष दिन काम नहीं करते, प्रचालन का संबंध उनके उस कार्य से होगा जिसे वे छुट्टी पर न रहने की दशा में करते ।

१.९.२८ शारीरिक कार्य : वह कार्य जिसमें निश्चित रुप से शारीरिक श्रम लगता है, शारीरिक कार्य माना जाता है । तथापि, वे कार्य जिनमें निश्चित रुप से शारीरिक श्रम तो लगता है पर कुछ हद तक समान्य, पेशेवर, वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा भी आवश्यक हो, उसे शारीरिक कार्य नहीं माना जाता है । दूसरी ओर, वे कार्य जिनमें ज्यादा शारीरिक श्रम न लगता हो और साथ ही उसके लिए ज्यादा शैक्षणिक (सामान्य, वैज्ञानिक, तकनीकी या अन्य) पृष्ठभूमि की भी आवश्यकता न हो उन्हें शारीरिक कार्य माना जायेगा । इस प्रकार, इंजीनियर, डॉक्टर, दंतचिकित्सक, आया आदि शारीरिक कामगार नहीं माने जाते हैं, हालांकि उनके कार्यों में कुछ

शारीरिक श्रम भी लगता है । परंतु, चपरासी, चौकीदार, प्रहरी आदि को शारीरिक कामगार माना जाता है हालांकि उनके कार्य में अधिक शारीरिक श्रम नहीं लगता । शारीरिक कामगारों के कुछ उदाहरण हैं : रसोइया, वेटर, भवनों के रखवाल (केयरटेकर), सफाई कर्मचारी, साफ करने वाला और संबंधित कर्मचारी, धोबी, ड्राई क्लीनर और इस्तरी वाला, हेयर ड्रेसर, नाई, ब्युटिशियन, चौकीदार, द्वारपाल, कृषि श्रमिक, रोपाई मजदूर और संबंधित कर्मचारी ।

१.९.२९ ग्रामीण श्रम : नकद या वस्तु रुप में *प्राप्त मजदूरी के बदले* कृषि और/या गैर-कृषि व्यवसायों में काम करने वाले औरे *ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले* शरीरिक श्रमिक को ग्रामीण श्रम के रुप में लिया जायेगा (विनिमय श्रमिक को छोड़कर) ।

१.९.३० कृषि श्रम : वह व्यक्ति कृषि में कृषि श्रमिक माना जायेगा जो निम्नलिखित कृषि व्यवसायों में से किसी एक या एक से अधिक में शारीरिक श्रमिक के रुप में लगा हो :

(क) खेती करना ;
(ख) दुग्ध (डेरी) उद्योग ;
(ग) कृषि बागवानी संबंधी पण्यों का उत्पादन ;
(घ) पशुधन, मधुमक्खी या मुर्गी पालना और
(ड) कोई भी कार्य जो एक कृषि फार्म में कृषि कार्य (इसमें वानिकी या लकड़ी संकार्य सहित) के साथ में या आकस्मिक रुप से किया गया हो फार्म उत्पाद की और बाजार हेतु तैयारी और भंडारण या बाजार हेतु सौंपना । पुनः परिवहन के लिए ले जाने का अर्थ केवल परिवहन के प्रथम चरण अर्थात् फार्म से प्रथम निपटान स्थान तक का परिवहन ही है ।

मत्स्य पालन में कार्य करने को कृषि श्रमिक की श्रेणी से **बाहर** रखा गया है ।

१.९.३१ मजदूरी प्रदत्त शारीरिक श्रम : एक व्यक्ति जो शारीरिक कार्य करता है और बदले में नकद या वस्तु या कुछ नगद और कुछ वस्तु (विनिमय श्रमिकों को छोड़कर) के रुप में मजदूरी प्राप्त करता है उसे मजदूरी प्राप्त शारीरिक श्रमिक कहा जाता है । वेतन को भी मजदूरी माना जाएगा । एक स्व-नियोजित शारीरिक श्रमिक को मजदूरी प्राप्त शारीरिक श्रमिक **नहीं माना जाता** ।

१.९.३२ कृषि : फसल उपजाने से संबंधित सभी कार्यकलाप और संबंधित सहायक कार्यकलापों को कृषि माना जाता है । पेड़, पौधे या फसलों को बागान में या फलोद्यान में उगाना (जैसे रबड़, काजू, नारियल, काली मिर्च, कॉफी, चाय आदि) इस सर्वेक्षण हेतु कृषि कार्यकलाप नहीं माने जायेंगे । सामान्य रुप से, एन.आई.सी. १९९८ उप-वर्ग ०१११११, ०१११२, ०१११३, ०१११५, ०१११९, ०११२१, ०११२२ और ०११३५ (गोलमीर्च और इलायची की खेती को छोड़कर) के अंतर्गत शामिल कार्यकलाप कृषि माने जाएंगे ।

१.९.३३ वास-भूमि : (i) एक परिवार की वास-भूमि की व्याख्या परिवार के निवास गृह से की जाती है जिसमें आंगन, अहाता, बगीचा, आउट-हाउस, पूजा का स्थान, पारिवारिक कब्रगाह, अतिथि गृह, दुकान, पारिवारिक उद्यम चलाने के लिए वर्कशॉप और कार्यालय, तालाबा, कुआं, शौचालय, नालियां और निवास गृह से लगी चारदीवारी शामिल हैं ।
(ii) वास भूमि एक भूखंड का केवल एक हिस्सा हो सकता है । कभी-कभी बागान, फलोद्यान या रोपस्थली वासभूमि से लगी हुई और चारदीवारी के भीतर होने के बावजूद स्पष्टतया एक भिन्न भूखंड पर अवस्थित होती हैं । ऐसे मामलों में, बागान, फलोद्यान या रोपस्थली के अधीन आने वाली भूमि को वासभूमि नहीं माना जायेगा ।

१.९.३४ अर्जन : अर्जन उस मजदूरी/वैतनिक आय (कुल अर्जन नहीं) को दर्शाता है जो कि मजदूरी/वैतनिक कर्मचारियों और अनियत मजदूरों द्वारा संदर्भ सप्ताह के दौरान किए गए मजदूरी/ वैतनिक कार्य के बदले प्राप्त होता है । इस प्रकार प्राप्त या प्राप्तियोग्य मजदूरी/वेतन नकद या वस्तु-रुप में या कुछ भाग नकद और कुछ भाग वस्तु-रुप में हो सकता है । मजदूरियों और वेतनों को दर्ज करने के लिए :

(i) वस्तु-रुप में मजदूरी का मूल्यांकन **वर्तमान खुदरा मूल्य** के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) बोनस (अपेक्षित या प्रदत्त) और अनुलाभों का मूल्यांकन भी खुदरा-मूल्य पर किया जाएगा और उसके संदर्भ सप्ताह के अंश को भी अर्जन में **शामिल** किया जाएगा ।

(iii) सामान्य कार्य घंटों के बाद किए गए अतिरिक्त कार्य के बदले प्राप्त समयोपरिभत्ते को भी शामिल किया जाएगा । यह पहले के दौरों से भिन्न है ।

१.९.३५ पारिवारिक प्रमुख उद्योग और व्यवसाय निर्धारण की प्रक्रिया : परिवार का प्रमुख उद्योग और पेशा निर्धारित करने के लिए जो सामान्य प्रक्रिया अपनायी जायेगी वह है परिवार के सदस्यों द्वारा, परिवार द्वारा नियोजित और सशुल्क अतिथियों (जो परिवार के साथ रहने और भोजन ग्रहण करने के कारण इसके सामान्य सदस्य माने जाते हैं) को छोड़कर, सर्वेक्षण तिथि से पिछले एक वर्ष की अवधि के दौरान किये गये आर्थिक कार्यकलापों से संबंधित सभी व्यवसायों को सूचीबद्ध करना, भले ही ऐसे व्यवसाय सदस्यों द्वारा प्रमुख या गौण (अर्जन के आधार पर) स्तर पर किये गये हों । व्यवसायों की सूची में से वह व्यवसाय परिवार का मुख्य व्यवसाय माना जायेगा जिससे परिवार को सर्वेक्षण की तिथि से पिछले ३६५ दिनों के दौरान अधिकतम अर्जन प्राप्त हुआ । यह संभव है कि इस प्रकार निर्धारित परिवार का प्रमुख व्यवसाय परिवार के एक या अधिक सदस्यों द्वारा अलग-अलग उद्योगों में किया गया हो । ऐसे मामलों में, प्रमुख धंधे से संबंधित सभी उद्योगों में से वह उद्योग जिससे अधिकतम अर्जन प्राप्त हुआ, परिवार का प्रमुख उद्योग माना जायेगा । कम ही मामलों में ऐसा होता है कि दो भिन्न धंधों या उद्योग-व्यवसाय समिश्रणों द्वारा समान अर्जन प्राप्त किया गया हो । परम्परानुसार, ऐसे मामलों में सबसे बड़े सदस्य के धंधे या उद्योग धंधे समिश्रण को प्राथमिकता दी जायेगी ।

१.९.३६ लोक-निर्माण : इसके अंतर्गत वे कार्यकलाप आते हैं जो सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित होते हैं और जिनके अधीन स्थानीय विकास कार्य जैसे, सड़कों, बांधों, बंदों का निर्माण, तालाबों की खुदाई, आदि किये जाते हैं । ये कार्य राहत उपायों के रुप में या निर्धनता उपशमन कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (नरेगा) कार्य, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (स.ग्रा.रो.यो.), राष्ट्रीय कार्य के लिए खाद्य योजना (एन.एफ.एफ.उब्ल्यू.पी.), आदि के अधीन किये जाते हैं ।

'लोक निर्माण' के अंतर्गत आने वाली योजनाओं की व्याप्ति को निर्धनता उपशमन कार्यक्रम या राहत उपायों के अधीन उन योजनाओं तक परिसीमित रखा गया है जिनके द्वारा सरकार मजदूरी-रोजगार पैदा करती है । ध्यान दिया जाये कि इन योजनाओं के नाम उस बजट शीर्ष को सूचित करते हैं जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए निधियां निर्गत की जायेंगी । इन योजनाओं के द्वारा सामान्यतः किये जाने वाले कार्य निम्न प्रकार के होते हैं : जलसंभर (वाटरशेड) विकास, सूखा रोकना, भूमि समतल करना, बाढ़ नियंत्रण, पाईप या तारों को बिछाना, सफाई प्रबंधन, जल संग्रहण, सिंचाई नहरें बनाना, फलोद्यान विकास, सड़क निर्माण, भवन निर्माण/मरम्मत, शिशुसदन चलाना आदि ।

सरकार द्वारा प्रायोजित और प्रचालन में कुछ ऐसी योजनायें हैं, जिन्हें स्व-रोजगार प्रजनन के रुप में जाना जाता है । सरकार की ऐसी कुछ योजनायें हैं - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (पहले की आई.आर.डी.पी. अधीन योजनाओं को इसमें मिला दिया गया है), ग्रामीण रोजगार प्रजनन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, वाल्मिकी अम्बेदकर आवास योजना, आदि । इन योजनाओं द्वारा प्रजनित रोजगार को 'लोक निर्माण' के दायरे के भीतर नहीं माना जायेगा ।

कभी-कभी, सरकार विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ कर सकती है, जैसे त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों के कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आदि । ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य अवसंरचना विकास होता है न कि निर्धनता उपशमन और रोजगार प्रजनन । इसके अतिरिक्त, ये कार्यक्रम ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं के रुप में चलाये जाते हैं । इन कार्यक्रमों, जो ठेकेदारों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं, से उत्पन्न रोजगार को भी 'लोक निर्माण' के क्षेत्र से बाहर रखा गया है । तथापि, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता प्रबंधन, मरुभूमि विकास, बंजर-भूमि विकास आदि से सम्बंधित इसीप्रकार के कार्यकलाप यदि राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा मजदूरी-युक्त रोजगार प्रदान करने के लिए और इसे सम्पादित करने के लिए किसी ठेकेदार को नियोजित किये बगैर किये जाते हैं तो उन्हें 'लोक निर्माण' माना जायेगा ।

उन्हीं व्यक्तियों को 'लोक निर्माण में आकस्मिक श्रमिक' के रुप में वर्गीकृत किया जायेगा, जिन्होंने ऊपर वर्णित 'लोक निर्माण' में योगदान दिया है । 'लोक कार्यों' और वे कार्य जिन्हें 'लोक कार्य' के रुप में वर्गीकृत नहीं किया जाना है, के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए, 'लोक कार्यों' की कुछ प्रमुख विशेषताओं की पहचान की गई है, जैसे इसका प्राथमिक उद्देश्य मजदूरी युक्त रोजगार उत्पन्न करना, निर्धनता उपशमन है और इन मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ परिणाम रुप में सामुदायिक परिसम्पत्ति सृजित करना है । ऊपर वर्णित कुछ मजदूरी युक्त रोजगार प्रजनन योजनाओं सहित लोक निर्माण की ये विशेषतायें 'लोक निर्माण' की पहचान में सहायक होंगी ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित तीन योजनाओं, जो या तो ग्रामीण क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में प्रचालित हैं, और जो 'लोक निर्माण' के अधीन आती हैं, का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है ।

१.९.३७ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागार गारंटी अधिनियम, २००५ देश के ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के अधिकार के कार्यान्वयन और परिवारों की जीविका सुरक्षा में वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । इसे जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में विस्तारिक किया गया है । इस अधिनियम के अनुसार, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनायी जाती हैं । यह योजना प्रत्येक उस परिवार को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देती है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वैच्छिक रुप से तैयार होते हैं । वयस्क व्यक्ति वह है, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है । अकुशल शारीरिक कार्य का अर्थ है, कोई भी शारीरिक कार्य जिसे कोई वयस्क व्यक्ति बगैर किसी विशेष कुशलता/प्रशिक्षण के करने में सक्षम होता है । इस योजना के कार्यान्वयन की एजेंसी केन्द्रीय सरकार या एक राज्य सरकार का कोई विभाग, एक जिला परिषद, पंचायत/ग्राम पंचायत या कोई स्थानीय निकाय या सरकारी उद्यम या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत गैर-सरकारी संगठन हो सकता है । यदि इस योजना के अधीन रोजगार के लिए एक आवेदनकर्ता को उसके आवेदन की प्राप्ति से या जब से रोजगार की मांग की गई उस तिथि से १५ दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिया गया, तो प्रार्थी दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा ।

१.९.३८ सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (सं.ग्रा.रो.यो.) : सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का मूल उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरीयुक्त रोजगार उपलब्ध करना और इसके द्वारा आहार निश्चिंतता सुनिश्चित करना तथा पौषणिक स्तर में सुधार करना है । इसका गौण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसम्पत्ति सृजित करना और अवसंरचनात्मक विकास करना है । इस योजना की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा १५.८.२००१ को की गई थी और यह सितम्बर २००१ से आरम्भ हुई । इस कार्यक्रम के अधीन जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रोजगार आश्वासन योजना को १.४.२००२ से मिला दिया गया । सं.ग्रा.रो.यो. उन सभी निर्धन ग्रामीणों के लिए है, जो मजदूरीयुक्त रोजगार की तलाश में हैं और जो ग्राम/वासस्थान के आसपास शारीरिक और अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं । प्रकृति से यह कार्यक्रम आत्म-लक्ष्यित है । मजदूरीयुक्त रोजगार प्रदान करते समय कृषि मजदूरी अर्जकों, गैर-कृषि अकुशल मजदूरी अजर्कों, पार्श्व कृषकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, जोखिम भरे व्यवसायों से हटाये गये बाल-श्रमिकों के माता-पिता, विकलांग बच्चों के माता-पिता या विकलांग माता-पिता वाले वयस्कों को प्राथमिकता दी जाती है । इस कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है । इस कार्यक्रम के अधीन तीस प्रतिशत रोजगार के अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं ।

इस कार्यक्रम को केन्द्र और राज्यों के बीच कार्यक्रम के नकद अवयव के लिए ७५:२५ के अनुपात में लागत भागीदारी पर कार्यान्वित किया गया है । तथापि, इस कार्यक्रम के अधीन राज्यों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाते हैं ।

सं.ग्रा.रो.यो. के अधीन निधियों और खाद्यान्न का पांच प्रतिशत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रख लिया जाता है ताकि उसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं से पैदा होने वाली प्रचंड विपत्ति वाले क्षेत्रों में या चिरकालिक सूखा या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरोधक उपाय के लिए किया जा सके । इसके अतिरिक्त, सं.ग्रा.रो.यो. के अधीन आबंटित खाद्यान्न का एक निश्चित प्रतिशत किसी प्राकृतिक आपदा से पैदा होने वाली जरुरतों को पूरा करने के

लिए मजदूरीयुक्त रोजगार संभावना वाली किसी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की योजना में उपयोग होने वाले विशेष घटक के लिए आरक्षित होता है । सं.ग्रा.रो.यो. की अधीन शेष निधि और खाद्यान्न को जिला परिषद, माध्य पंचायतें और ग्राम पंचायतों को २०:३०:५० के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है ।

इस कार्यक्रम के अधीन मजदूरी का कुछ भाग खाद्यान्न रुप में और कुछ भाग नकद में दिया जाता है । मजदूरी के भाग के रुप में दिये जाने वाले खाद्यान्न के मूल्य की गणना एक समान दर पर या तो गरीबी रेखा के नीचे की दर या गरीबी रेखा के ऊपर की दर, या इन दोनों दरों के बीच कहीं भी रखने के लिए राज्य या सं.रा.क्षे. स्वतंत्र होते हैं । कामगारों को मजदूरी का शेष नकद में दिया जाता है ताकि वे अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के लिए आश्वस्त हो सकें ।

इस कार्यक्रम के अधीन, निम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी - मिट्टी और नमी संरक्षण, लघु सिंचाई, पेय जल संसाधनों का नवीकरण और भौम जल का संवर्द्धन, पारम्परिक जल संग्रहण संरचनायें, ग्राम पोखर/तालाब से गाद निकालना, टिकाऊ परिसम्पत्तियां जैसे स्कूल, स्कूल की रसोई की छत, औषधालय, सामुदायिक केन्द्र और पंचायत गृह का निर्माण । हाट का विकास, जो श्रम प्रबलता वाला होता है, को भी प्राथमिकता दी जायेगी । कार्य का आकार, लागत और प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि वह कार्य एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा हो जाये और अपवादिक स्थितियों में यह अधिकतम दो वर्षों की एक अवधि में पूरा होना चाहिए ।

१.९.३९ राष्ट्रीय कार्य के बदले खाद्य कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) : यह कार्यक्रम देश के १५० सर्वाधिक पिछड़े जिलों में नवम्बर, २००४ से लागू किया गया है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के १५० सर्वाधिक पिछड़े जिलों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना है जिससे इन जिलों में आवश्यकता आधारित अर्थव्यवस्था, सामाजिक और सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन द्वारा पूरक मजदूरीयुक्त रोजगार और खाद्य सुरक्षा के प्रावधान के प्रजनन में तीव्रता लायी जा सके । राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क दिये जाते हैं । इस कार्यक्रम के अधीन कार्यों को पंचवर्षीय सापेक्ष योजना के अनुसार लिया जाता है । सापेक्ष योजना तैयार करने और कार्यक्रम कार्यान्वयन की जिम्मेदारी कलक्टर की होती है ।

उपर्युक्त तीन योजनाएं मजदूरी वाले रोजगार पैदा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं । इनके अतिरिक्त राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित मजदूरी रोजगार प्रदान करने वाली अन्य योजनाएं भी हो सकती हैं, जिन्हें 'लोक-निर्माण' के अधीन माना जा सकता है ।

१.९.४० व्यावसायिक प्रशिक्षण : मोटे तौर पर एके व्यावसायिक प्रशिक्षण उस एक प्रशिक्षण को कहा जा सकता है जो एक व्यक्ति को एक विशिष्ट व्यवसाय या पेशे के लिए तैयार करता है । व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं को कार्य-जगत् के लिए तैयार करना और उन्हें विभिन्न उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए नियोजनयोग्य बनाना है । इसका उद्देश्य व्यक्तियों को बहुत विशेष क्षेत्रों में आवश्यक कुशलता प्राप्त करने के लिए उन्हें 'अपने हाथों करके' सार्थक अनुभवन उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण प्रदान करना है, जो उन्हें नियोजन योग्य बनाता है या उनके लिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित करता है । इस प्रकार व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यक विशेषता यह है कि यह ज्ञान देने की अपेक्षा एक विशेष व्यवसाय या ट्रेड में कुशलता (स्किल) विकसित करने पर ज्यादा जोर देता है । केवल एक कुशलता धारण करना, जो न स्व-नियोजन के लिए अवसर पैदा करता है न ही एक व्यक्ति को नियोजन योग्य बनाता है, को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं माना जायेगा ।

१.९.४१ औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण : शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों में होने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण जो एक रचित प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपनाते हैं और जिनके लिए आगे मान्य प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्रियां प्रदान की जाती हैं, को औपचारिक माना जायेगा । परंतु जब व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा न तो एक रचित कार्यक्रम को अपनाया जाता है और न ही प्रशिक्षण के बाद मान्य प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्रियां ही प्रदान की जाती हैं, तो ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण माना जायेगा । सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए, औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण की निम्नलिखित विशेषतायें होंगी :

- एक विशेष कौशल के लिए रचित प्रशिक्षण कार्यक्रम

- प्राप्त प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री, राज्य/केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य प्रसिद्ध संस्थाओं से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए ।

रचित प्रशिक्षण कार्यक्रम का तात्पर्य है :

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक नाम होना चाहिए और साथ ही इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या एवं विशेष प्रशिक्षण अवधि होनी चाहिए; और
(ख) इसमें प्रवेश हेतु शिक्षा तथा आयु के रुप में कुछ योग्यता निर्धारित होनी चाहिए ।

१.९.४२ अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण :

(क) पुश्तैनी : कभी-कभी परवर्ती पीढ़ियों द्वारा किसी एक व्यवसाय या व्यापार में सुविज्ञता परिवार के अन्य सदस्यों, सामान्यतः पूर्वजों से, उनके द्वारा वह व्यवसाय करते रहने से क्रमिक जानकारी प्राप्त करके, प्राप्त की जाती है । महत्वपूर्ण व्यवहारिक अनुभव से प्राप्त सुविज्ञता व्यक्ति को इस योग्य बना देती है कि वह रोजगार प्राप्त कर सके अथवा स्व-रोजगार द्वारा अपने कार्यकलाप कर सके । किसी के द्वारा ऐसी बाजार योग्य सुविज्ञता प्राप्त करना, जो उसे अपने पीढ़ी-दर-पीढ़ी के व्यापार या व्यवसाय को चलाने के योग्य बनाती है, को भी इस सर्वेक्षण के लिए यह माना जायेगा कि उस व्यक्ति ने वंशागत स्रोतों से 'अनौपचारिक' व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

(ख) स्वयं शिक्षा : जब एक व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयत्न द्वारा बगैर किसी व्यक्ति या संगठन से एक प्रशिक्षण प्राप्त किये एक व्यवसाय या व्यापार में सुविज्ञ हो जाता है तो उसे 'स्वयं शिक्षा' द्वारा अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ माना जायेगा । उदाहरणस्वरूप, अपने स्वयं के प्रयत्न द्वारा फोटोग्राफी सीखे हुए एक व्यक्ति को 'स्वयं शिक्षा' द्वारा अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त माना जायेगा ।

(ग) काम पर शिक्षा : रोजगार (वर्तमान और/या पूर्व का) के दौरान एक व्यक्ति नियोक्ता या संगठन द्वारा अनौपचारिक प्रशिक्षण द्वारा या वह जो कार्य कर रहा था उस कार्य प्ररूप को देखकर सुविज्ञता प्राप्त कर लेता है । ऐसे व्यक्ति को 'काम पर शिक्षा' के द्वारा अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त माना जायेगा । ध्यान रहे कि यदि एक व्यक्ति को उसके नियोजन के दौरान ही नियोक्ता या संगठन द्वारा एक व्यवसाय या व्यापार में औपचारिक प्रशिक्षण दिया गया है तो उसे 'औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण' प्राप्त माना जायेगा ।

(घ)अन्य : 'अन्य' स्रोत के अंतर्गत वे मामले भी आ सकते हैं जहां एक व्यवसाय या व्यापार के लिए सुविज्ञता पारिवारिक सदस्यों या पूर्वजों की मदद से ही विकसित की गई है पर वह व्यवसाय या व्यापार उसके पूर्वजों के व्यवसाय या व्यापार से भिन्न है । इस प्रकार एक व्यक्ति एक मास्टर दरजी से सिलाई कार्य सीखा हुआ या एक व्यक्ति किताबों की जिल्दसाजी एक छापाखाना से सीख सकता है । इस प्रकार की सभी सुविज्ञताओं को 'अन्य' स्रोतों से प्राप्त अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण माना जायेगा ।

१.९.४३ विभिन्न प्रकार के उद्यमों की परिभाषायें :

(i) **मालिकाना :** जब एक व्यक्ति एक उद्यम का एकमात्र स्वामी हो तो वह उद्यम एक मालिकाना उद्यम हैं । स्वयं के उपयोग के लिए अचल परिसंपत्ति का स्वकार्यरत उत्पादन, जब एक एकमात्र सदस्य द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो उसे मालिकाना उद्यम के रुप में वर्गीकृत किया जाता है ।

(ii) **साझेदारी :** साझेदारी को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है : "उन व्यक्तियों के बीच में सम्बंध, जो उन सभी के द्वारा या उन सभी के लिए कार्य करने वाले उनमें से एक द्वारा चलाये जाने वाले एक व्यापार से प्राप्त लाभ को बांट लेने के लिए सहमत हैं ।" स्वामी एक या अधिक उसी परिवार के या अन्य परिवारों के एक साझेदारी आधार पर औपचारिक पंजीकरण सहित या उसके बगैर (जहां उन तथाकथित साझेदारों के बीच लाभ के बंटवारे के बारे में एक अनकहा समझौता होता है) हो सकता है । जब एक ही या भिन्न परिवारों के दो या अधिक सदस्यों द्वारा अचल परिसंपत्ति का स्वकार्यरत उत्पादन किया जाता है तो उसे साझेदारी उद्यम माना जाता

है । इस प्रकार, परिवारों के एक समूह द्वारा अचल परिसंपत्ति का समुदाय के उपयोग के लिए स्वकार्यरत उत्पादन साझेदारी उद्यम के रुप में वर्गीकृत किया जायेगा ।

(iii) **सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम :** एक उद्यम, जो पूर्णतः केन्द्रीय या राज्य सरकारों, अर्ध-सरकार, संस्थानों, स्थानीय निकायों जैसे विश्वविद्यालयों, शिक्षा बोर्डों, नगरपालिकाओं आदि द्वारा स्वामित्वाधीन/चलाया/प्रबंधित होता है, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है । एक उद्यम को एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नहीं मानना चाहिए यदि यह सरकार, स्थानीय निकाय आदि द्वारा दिये गये एक ऋण से चलता है ।

(iv) **प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी :** प्राइवेट कम्पनी का तात्पर्य उस कम्पनी से है जो अपने नियमों के अनुसार :

(क) अपने शेयरों, यदि कोई हो, के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है;
(ख) अपने सदस्यों की संख्या को पचास तक सीमित करती है, जिसमें ये शामिल नहीं होते -

- वे व्यक्ति, जो कंपनी के नियोजन में हैं;
- वे व्यक्ति, जो पूर्व में कंपनी के नियोजन में थे और नियोजन के दौरान सदस्य भी थे और नियोजन के रद्द हो जाने के बाद भी सदस्य बने हुए हैं,

(ग) कम्पनी के किसी शेयर या डिबेंचर के लिए जनता द्वारा पूर्वक्रय के उपक्रम को निषेध करती है ।
[जब एक कम्पनी में दो या अधिक शेयर दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रुप से धारण किये गये हैं, तो इस परिभाषा के उद्देश्य के लिए उन्हें एक एकल सदस्य द्वारा धारित माना जायेगा ।]

(v) **सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी :** एक सार्वजनिक (पब्लिक) लिमिटेड कम्पनी उसे कहा जाता है जो एक निजी कम्पनी नहीं है । ऐसी सार्वजनिक कम्पनी के असीमित सदस्य हो सकते हैं और यह जनता को अपने शेयर और डिबंचरों की खरीद के लिए आमंत्रित कर सकती है । एक सार्वजनिक कम्पनी बनाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या सात है ।

(vi) **साहकारी समितियां :** सहकारी समिति वह है जिसका गठन कुछ लोगों के सहयोग से उनके अपने हित के लिए किया जाता है । ये लोग उस समिति के सदस्य कहलाते हैं । इस प्रक्रिया में, सदस्यों के अंशदान/निवेश से निधि जमा की जाती है और समिति के कार्यकलापों से उत्पन्न लाभ को सदस्यों में बांट दिया जाता है । एक सरकारी एजेंसी के रुप में सरकार स्वयं भी एक पंजीकृत सहकारी समिति का एक सदस्य या शेयरधारक हो सकती है, पर इस तथ्य से, इस सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए, उस समिति को एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नहीं माना जा सकता ।

(vii) **न्यास (ट्रस्ट) :** यह एक व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्तियों के एक समूह, अर्थात् न्यासियों, जो सम्पत्ति के वैधानिक स्वामी होते हैं, द्वारा अन्य समूह, अर्थात् लाभग्राहियों के हित में कार्य किया जाता है । न्यासों की स्थापना व्यक्तियों या परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए, पेंशन देने, धर्मार्थ संस्था चलाने, दिवालिये की सम्पत्ति को उनके देनदारों के लाभ के लिए परिसमाप्त करने, या न्यास द्वारा अपने निवेशकों के धन से खरीदी गई प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए की जाती है । न्यास द्वारा धारित परिसम्पत्तियां विधान के अनुसार नियमित की जाती हैं, इनका संचालन लाभग्राहियों के हित में किया जाना चाहिए न कि न्यासियों के लाभ के लिए ।

(viii) **लाभनिरपेक्ष संस्था (NIP)** : लाभनिरपेक्ष संस्थायें वैधानिक या सामाजिक हस्तियां होती हैं जिनकी स्थापना वस्तुओं और सेवाओं को पैदा करने के उद्देश्य से की जाती हैं, पर इनकी हैसियत इन्हें अपने को स्थापित करने, नियंत्रित करने या वित्त प्रदान करने वाली इकाइयों के लिए आय, लाभ या अन्य वित्तीय लाभ का एक स्रोत बनने की अनुमति नहीं देती । व्यवहार में, उनके उत्पादक कार्यकलाप या तो अधिक्य या अभाव उत्पन्न करने को बाध्य हैं पर उनके द्वारा उत्पादित आधिक्य को कोई अन्य संस्थागत इकाई ले नहीं सकती है । साझेदारी के नियम, जिनके द्वारा इनकी स्थापना होती है, इस प्रकार बनाये गये होते हैं कि उन्हें नियंत्रित या प्रबंधित करने वाली संस्थागत इकाइयां उनके लाभ या अन्य आय में से कोई हिस्सा नहीं ले सकते ।

(ix) **नियोक्ता परिवार (अर्थात् नौकरानी, चौकीदार, रसोइया आदि को नियोजित करने वाले गैर-सरकारी परिवार) :** वे परिवार जो नौकरानी, चौकीदार, रसोइया, निजी शिक्षक आदि को नौकरी पर रखते हैं, उन्हें इस सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए वैचारिक रुप से उद्यम माना जायेगा और उन्हें स्वनियोक्ता परिवार- के रुप में वर्गीकृत किया जायेगा ।

सारणी १ : रा प्र स ६६वें दौर के लिए प्रतिदर्श ग्रामों और खंडों का वितरण

राज्य/सं.रा.क्षे.	प्र.च.इयों की संख्या					
	केन्द्रीय प्रतिदर्श			राज्य प्रतिदर्श		
	कुल	ग्रामीण	नगरीय	कुल	ग्रामीण	नगरीय
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
आंध्रप्रदेश	८६४	४९२	३७२	८६४	४९२	३७२
अरुणाचल प्रदेश	२१६	१४०	७६	२१६	१४०	७६
असम	४३२	३३२	१००	४३२	३३२	१००
बिहार	५७६	४१६	१६०	५७६	४१६	१६०
छत्तीसगढ़	२८०	१८८	९२	२८०	१८८	९२
गोआ	५६	२०	३६	५६	२०	३६
गुजरात	४३२	२१६	२१६	३२०	१६०	१६०
हरियाणा	३२८	१८०	१४८	३२८	१८०	१४८
हिमाचल प्रदेश	२५६	२०८	४८	२५६	२०८	४८
जम्मू व कश्मीर	४३२	२६०	१७२	८६४	५२०	३४४
झारखंड	३४४	२२०	१२४	३४४	२२०	१२४
कर्नाटक	५१२	२५६	२५६	५१२	२५६	२५६
केरल	५६०	३२८	२३२	५६०	३२८	२३२
मध्य प्रदेश	५९२	३४४	२४८	५९२	३४४	२४८
महाराष्ट्र	१००८	५०४	५०४	१२६०	५०४	७५६
मणिपुर	३२०	१७२	१४८	६४०	३४४	२९६
मेघालय	१६०	१०८	५२	१६०	१०८	५२
मिजोरम	१९२	८०	११२	१९२	८०	११२
नागालैंड	१२८	८८	४०	२०८	८८	१२०
ओड़िसा	५०४	३७२	१३२	५०४	३७२	१३२
पंजाब	३९२	१९६	१९६	३९२	१९६	१९६
राजस्थान	५२०	३२४	१९६	५२०	३२४	१९६
सिक्किम	९६	७६	२०	९६	७६	२०
तमिलनाडु	८३२	४१६	४१६	८३२	४१६	४१६
त्रिपुरा	२३२	१६४	६८	२३२	१६४	६८
उत्तर प्रदेश	११२८	७४०	३८८	११२८	७४०	३८८
उत्तरांचल	२२४	१३२	९२	२२४	१३२	९२
पश्चिम बंगाल	७९२	१४८	३४४	७९२	१४८	३४४
अं. व नि. द्वीप समूह	७२	३६	३६	०	०	०
चंडीगढ़	४०	४	३६	०	०	०
दादर और नागर हवेली	२४	१२	१२	०	०	०
दमन और दीव	१६	८	८	१६	८	८
दिल्ली	१२८	८	१२०	२५६	१६	२४०
लक्षद्वीप	२४	८	१६	०	०	०
पोंडिचेरी	७२	१६	५६	७२	१६	५६
सम्पूर्ण भारत	१२७८४	७५१२	५२७२	१३७२४	७८३६	५८८८

*****